MESSAGE FROM RAJYA SABHA

Secretary: Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha:

"In accordance with the provisions of rule 97 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Industrial Employment (Standing Orders) Amendment Bill, 1963, which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 21st August, 1963."

BILL AS PASSED BY RAJYA SABHA LAID ON THE TABLE

Secretary: I lay on the Table of the House the Industrial Employment (Standing Orders) Amendment Bill, 1963, as passed by Rajya Sabha.

12.22 hrs.

APPROPRIATION (RAILWAYS) No. 5 BILL

The Minister of Railways (Shri Swaran Singh): I beg to move*

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the service of the financial year 1963-64 for the purposes of Railways, be taken into consideration."

Mr. Speaker: The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the service of the financial year 1963-64 for the purposes of Railways, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Mr. Speaker: We take-up the clauses. The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

Shri Swaran Singh: I beg to move:

"That the Bill be passed."

Mr. Speaker: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

12.24 hrs.

MOTION RE: REPORT OF SCHEDULED AREAS AND SCHEDULED TRIBES COMMISSION—*Contd.*

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Lal Bahadur Shastri on the 6th September, 1962, namely:

"That this House takes note of the Report of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission, laid on the Table of the House on the 20th November, 1961."

Shri Besra is to continue his speech.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): How much time has been allotted for this?

Mr. Speaker: The time allotted was five hours. Four hours and five minutes have been exhausted. 55 minutes remain.

Shri P. K. Deo (Kalahandi): There are many speakers and, therefore, more time may be allotted to this discussion.

Shri Swell (Assam—Autonomous Districts): Sir, I would like to seek your guidance on this point.

---

*Moved with the recommendation of the President.

Shri Basumatari (Goalpara): Sir, this is a very important subject. Out of 5 hours allotted for this 4 hours have already been taken. There are many more hon. Members who would like to take part in this discussion. If the House is agreeable, I would request you to kindly extend the time. I am also told that the Government has no objection to give more time to this discussion.

Mr. Speaker: Is he speaking on behalf of the Government also?

Shri Basumatari: No, Sir; I said: "I am told".

Mr. Speaker: He who told like that to the hon. Member should tell me also.

Shri Basumatari: That is why, Sir, I am requesting you to consult the Government and give us more time for this discussion.

Mr. Speaker: Let us proceed with the discussion, and then I will see.

Shri Swell: Sir, I do not know how much time is left, but it is after almost one year that this discussion is being resumed. Large numbers of Members, especially those belonging to Scheduled Tribes, are anxious to take part in this debate.

Mr. Speaker: That is exactly what I have said.

Shri Swell: What I submit, Sir, is that the time that remains will be very very limited.

Mr. Speaker: That is what so many other hon. Members have said. I have said that I am considering. What else does he want to say?

Shri D. J. Naik (Panchmahals): Sir, our plea is that more time should be allotted.

श्री बेसरा (दुमका) : अध्यक्ष महोदय, आज आप ने मुझ को बोलने के लिए मौका दिया है, इसलिए मैं आप को धन्यवाद देता हूं। ढेबर कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है, उसका मैं समर्थन करता हूं और इस संबंध में कुछ सुझाव इस सदन के सामने रखना चाहता हूं।

बिहार राज्य के अन्तर्गत सन्थाल-परगना जिले में अधिक से अधिक आदिवासी हैं। वे लोग कृषक हैं और उन लोगों की जीविका कृषि पर ही निर्भर है। वे लोग बहुत परिश्रमी हैं। कृषि को छोड़ कर उन को कोई भी दूसरा सहारा नहीं है कि कोई रोजगार कर के वे अपनी जीविका का निर्वाह कर सके। व लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं, लेकिन उन लोगों में कोई भी कुटिलता नहीं है और वे बहुत सीधे-सादे हैं। अनपढ़ और सीधे सादे होने कारण वहां के महाजन भाई उन का अधिक से अधिक शोषण कर रहे हैं। हमारी सरकार ने ग़रीब आदिवासियों को शोषण से बचाने के लिए एस० पी० टेनांसी एक्ट के मुताबिक महाजन कानून पास किया है, लेकिन अब तक वह कानून लागू नहीं किया गया है। वहां के सरकारी कर्मचारियों के द्वारा भी आदिवासियों का शोषण किया जाता है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि वहां के गरीब आदिवासियों को बचाने के लिए हर एक पंचायत में एक एक ग्रेन-गोडाउन बनाया जाये।

वहां पर यदि ब्लाक में कोई भी स्कीम सेंक्शन हो जाये, तो जमीन खुदवाने, बांध, तालाब और कुएं खुदवाने के लिए जो रुपया मंजूर किया जाता है, वह किसी ठेकेदार को दिया जाता है। स्थिति यह है कि ठेकेदार २५ या ३० परसेंट का काम करते हैं और जो बाकी रहता है, उस को ठेकेदार, ओवरसीयर और दूसरे हायर अथारिटीज मिल कर हड़प कर लेते हैं।

कोर्ट-कचहरियों मे भी घूस देते देते वहां की जनता तबाह है। इस का कारण यह है कि कोई भी मुकदमा कम से कम तीन चार साल तक चलता रहता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह भ्रष्टा-

चार दूर करने के लिये सरकार कोई कड़े कदम उठाए ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने शिक्षा का विकास करने के लिये जगह-जगह स्कूल खोल दिये हैं और नये नये स्कूल भी खोले जा रहे हैं । इस के लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं । लेकिन मेरा कहना यह है कि वहां के आदिवासियों के बच्चों की मातृभाषा सन्याली होती है । इस लिये वे दूसरी भाषा को नहीं समझ पाते हैं । इस लिये मेरी प्रार्थना है कि वहां के प्राइमरी स्कूलों में सिर्फ सन्याली-नोइंग टीचर्स को ही नियुक्त किया जाये । इस के अलावा सन्याल-परगना में हर थाने में एक एक हाई स्कूल और हर सब-डिवीजन में एक एक कालेज खोलने की व्यवस्था की जय ।

हमारी सरकार को सिंचाई के लिये दांड़, बांध, तालाब और कुंए अच्छी तरह से खुदवाने के लिये कदम उठाने चाहिये । सन्थाल-परगना जिले में बहुत सी पड़ती जमीन पड़ी हुई है । उस पड़ती जमीन का गरीब आदिवासियों और हरिजनों के साथ बन्दोबस्त किया जाय । उस जमीन की मरम्मत करने के लिये या खुदवाने के लिये भी सरकार की तरफ से मदद दी जानी चाहिये ।

सन्थाल-परगना जिले में आने-जाने की भी कठिनाई है । एक गांव से दूसरे गाव आन जाने का कोई भी रास्ता नहीं है । इस लिये वहां पर यातायात के साधन उपलब्ध करने के लिये भी कदम उठाये जाने चाहिये ।

ढेबर कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिये कुछ नाश्ते की व्यवस्था की जाये । मैं निवेदन करना चातहा हूं कि स्टेट गवर्नमेंट्स को इस बारे में आदेश दिये जाये कि वह इन की व्यवस्था करे ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हायर क्लासिज़ के आदिवासी विद्यार्थियों को स्टाइपेंड देन की भी कोशिश की जाये ।

इन शब्दों के साथ मैं आप को धन्यवाद देता हूं।

Mr. Speaker: There has been a persistent demand from all sides of the House that the time may be extended. We have 55 minutes according to the old schedule. What is the time by which I am required to extend the time allotted for this discussion?

Shri N. N. Patel (Bulsar): Whole day.

Shri P. K. Deo: At least by two hours.

Shri Swell: Sir, may I make a submission? Last time this discussion was postponed in order to allow the House to have more time for the discussion.

Mr. Speaker: I am just considering that. Dr. Swell takes up the question again from the beginning. It has been agreed to and I am going to extend the time. I am only asking by how much I should extend it.

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur): This discussion may continue for the whole of this day.

Shri Swell: This whole day may be given to this.

Mr. Speaker: How long is the hon. Minister likely to take?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shrimati Chandrasekhar): About 45 minutes.

Mr. Speaker: I wil call her at 4.15 and this may conclude at 5.00. The whole day will be spent on this. But, again, I will have to place some time limit on the speeches. Hon. Members should try to restrict their speeches to ten minutes.

Shri P. K. Deo: It will be impossible, Sir, to cover all the points in ten minutes.

Mr. Speaker: That restriction should be allowed. All the hon. Members should get an opportunity. This is the only opportunity when hon. Members especialy from the Scheduled Tribes will be able to take part.

Shri Swell: Ten minutes is too limited a time. We have a number of things to tell the Home Minister. They are very important things.

Mr. Speaker: The Chair will see if in any particlar case the time should be more than ten minutes; otherwise, it should ordinarily be ten minutes. Let us proceed now.

Shrimati Ramdulari Sinha— ....

An Hon. Member: She is not here.

Mr. Speaker: Shri Swell.

Shri Swell: Thank you, Sir. Mr. Speaker, Sir, as a member of the Scheduled Tribes I think my first duty is to thank you on this occasion, for at long last......

Mr. Speaker: He should not lose any time in thanking me, because in no case the limit should exceed 15 minutes.

Shri Swell: Sir, at long last this discussion has been resumed after the lapse of about a year. It appears to me that this sort of thing does not bespeak well of the concern that the Home Ministry or this House has for the welfare of the Scheduled Tribes. May I point out to you that today neither the Home Minister, nor the Minister of State for Home Affairs is present and only the Deputy Minister of Home Affairs is present, which shows the kind of perfunctory attitude which this Ministry has towards the welfare of the tribal people?

Mr. Speaker: That should not be the inference. The Minister in charge of this subject is present. So, why should he say that other Ministers are not present?

Shri Swell: I would have very much liked the presence of the Home Minister here.

Mr. Speaker: So far as the distribution of portforlios is concerned, this subject has been assigned to the Minister who is present in the House now. What more does he require?

Shri Swell: Now, coming to this report, since you have given me very very limited time, I would like to say that the Chairman of the Commission has done a tremendous piece of job within the very limited time given to him. The Commission was appointed in April 1960 and it submitted its voluminous report, which tries the patience and intelligence of the most inveterate book-worm, within a period of a little more than one year, in October, 1961. The Commission had to travel in different parts of the country, take evidence from different parties and cover a large number of subjects. As far as the scope of work of the Commission is concerned it was encyclopaedic.

I do not know whom Shri Dhebar met when he went to Shillong with his Commission. I never met him there and, as far as I am aware, none of my colleagues who are in the State Legislature or their representatives were heard or allowed to place evidence before him and the Commission. From the appendix to the report it appears that a number of inconsequential persons were brought before them by the Government of Assam, and only a picture of the problem of the tribal people in that area which would not be embarrassing to the Government of Assam was presented to the Commission. I do not know the terms of reference of this Commission but Shri Dhebar in his forwarding letter to the President has said:

> "You were pleased to appoint this Commission on 28th April, 1960 and to assign to me the task of investigating and reporting on the problems of the Scheduled Tribes."

The term "the problems of the Sche-

duled Tribes", I would take it, to means all sorts of problems, social, economic, educational and political and I would allow the discretion to the Commission that with relation to particular regions it would lay stress on a problem that is of the greatest concern to that particular area.

I would beg to submit that as far as the tribal people of Assam are concerned especially so far as the hills tribal people of Assam are concerned, the problem is more political. It is political rather than economic, social or educational, and if the political problem has been solved everything will follow from it and if the political problem is kept unsolved everything that the Commission might or might not have recommended would be of little avail, would appear to be a sort of mockery to the tribal people.

May I submit to you that educationally the hills tribal people, taken *en bloc* have a greater percentage of literacy than the plains people in other parts of the State? It is not my own estimate or assumption but it is the position as revealed by the census figures of 1961. And if you go community-wise and take the *khasi* community or the Mizo community their literacy would outstrip that of the other people of the plain of Assam by about 20 per cent. That holds true also in respect of higher education and in respect of higher services. Socially, they have a better standard of living and a better sense of cleanliness. They have a better family life and the way they treat their womenfolk is an example for the people in other parts of India to come, see and follow.

But, politically, being in a minority, they have not been afforded that freedom to function for themselves, to look after their own affairs. May I submit to you, Sir, that even in political matters the hills people have been maintaining a very high standard of political living? Democracy is something that is in their very blood. The way they function in a democratic way is something which will be an example to the other people of this country to follow. May I remind you that this is not merely my own saying but what one of the greatest sons of India, Nataji Subhas Chandra Bose has said? He knew the hills people, particularly the Khasi people and on one occasion he exclaimed that if the people of India want to see democracy in action they should go to Khasi hills and learn it.

As far back as 1830, when the first British officer went to Assam and the interior hills to negotiate for the construction of the road over the hills, he was given an opportunity to watch the Khasi durbar when it deliberated about his proposal, and he was forced to exclaim that he was reminded of the proceedings of the Roman senate.

In point of patriotism, may I remind the Commission, may I remind the Home Minister, that the hills people, especially the Khasi people rose in revolt against the British Government as far back as 1832, almost a quarter of a century before the other people of India realised the evils of foreign rule? Under the leadership of one of the bigger chieftains, Tirot Singh, they carried on the struggle for independence for a few years and the struggle was put down only when the chieftain was taken a prisoner and kept in a prison in Dacca, which is now in East Pakistan. He died there in prison. He preferred to die in captivity rather than reign as king under the British tutelage. And the story did not end there. As far back as 1860, almost a century today, another revolt broke but in another part of the Jaintia hills, which was put down in 1863 when the leader of the revolt was caught by the British and hanged. And when he was being hanged he uttered the historic words that if his dead body would face the east his country would be free within a century. Those words have become

[Shri Swell]

prophetic today, because before hundred years have passed this country has achieved its freedom.

Then, coming back nearer to our times, in 1947, the position of hill areas was such that due to the proximity to Pakistan they could have created a situation that is similar to that in Kashmir. May I remind the Home Minister that many of the hill areas were in the category of native States and constitutionally they had got the option either to join Pakistan or to join India or to declare independence? But, that sense of patriotism, that enlightened political leadership of the people at that time, especially under the leadership of the late Rev. JJ Nichols Roy, who was a personal friend of the Prime Minister a person who sheltered our Prime Minister when he went to Shillong in pre-independence days, before he became the Prime Minister, under his leadership the people of that area, by their own wish, chose to throw in their lot with India and with Assam.

But soon after they had made the decision everything began to change. The people were thrown into a state of frustration. They lost their market to East Pakistan. Their economic life was thrown out of gear. The people were rendered destitute and this Congress Government of Assam to which they had entrusted themselves, with whom they had joined hands, went in a very tardy manner in trying to solve the economic problems of the people of those areas.

Would you believe, Sir, that they started adopting a kind of stepmotherly attitude towards the people? I have told you just now that the Hills people have got a higher percentage of literacy than the plains people, but would you believe me when I say that even today the Assam Government has not thought it necessary to establish one single institution of higher learning in the Hill areas? In so many other ways these things went on and at long last they started to take adavantage of the small number of the Hills people by trying to absorb them into a particular community, the Assamese community. They did that by declaring Assamese as the official language which is a language spoken by the minority in the State. I say 'minority' because if you take the number of people who speak Assamese *vis-a-vis* the other people who do not speak Assamese, they are in the minority. But through a policy of blood and iron, they tried to impose that language on the people. These things are there. The problems are there and if today those people who have come forward out of the patriotic motive to identify with the rest of India stand up and demand for a separate State of their own within the India Union, it is not a stand of irresponsibility. These are good patriotic reasons why these people are demanding freedom to function for themselves.

I am sorry that this report of Shri U. N. Dhebar has completely left this problem of the Tribal people of the Hill areas untouched. To me it appears that in that regard the report is perfunctory; it is superficial and has not gone into the root of the problem. It has done a thing only as if it is a thing to be done.

Then, I want to draw your attention to another aspect. The report has mentioned that the Hill areas of Assam are placed under the provisions of the Sixth Schedule of the Constitution and that Sixth Schedule has been in operation in the Hill areas for the last more than ten years, for the last 12 or 13 years. This Commission had the opportunity to go and inquire into the problems of the Tribal areas of Assam about ten years later, after the District Councils under the provisions of the Sixth Schedule had been in operation. Was it not the

duty of this Commission to enquire whether these District Councils or the provisions of the Sixth Schedule were working satisfactorily for the Hills people and in the best interests of the Hills people?

I would like to draw your attention to the fact that as far back as the year 1954, a Bill was moved in this House by Shrimati B. Khongmen, who was a Member of this House at that time, to the effect that the provisions of the Sixth Schedule should be amended in order to give the Hills people more power, more sense of self-respect and responsibility and more financial resources. After the Bill was moved the matter was referred to the State Government for its views and opinions. After the views and opinions of the State Government came in August 1957, the discussion over that Bill took place in this House and the hon. Prime Minister at that time assured Shrimati Khongmen that the Government was attending to this matter The Prime Minister assured that it was only right and proper that the Sixth Schedule should be amended and it was on the assurance of the hon. Prime Minister that Shrimati Khongmen withdrew her Bill.

After 1957 the matter was referred again to the State Government and things went on like that until 1959 when a Tribal Advisory Council of the State of Assam presided over by a Minister of the Government of Assam submitted draft concrete proposals for the amendment of the Sixth Schedule. But the matter was left hanging again.

In 1961 when a delegation of the Hills people came here after the language disturbances to meet with the hon. Prime Minister and the hon. Home Minister, both of them gave a firm assurance that the Sixth Schedule should be amended and must be amended. But, I think, till today nothing has been done. This Commission headed by Shri U. N. Dhebar did not think it necessary to go into all these details; it did not go into the things that are troubling the minds of the Hills people.

I am sorry to say that as far as we are concerned, the report is completely inadequate. It has bypassed the problem of the Hills people. It appears to me worthless. It would be better if we scrap the report and request Shri Dhebar to re-write his report, so far as we are concerned. May I impress upon the hon. Home Minister that he cannot leave this matter hanging today. He has got the problem of the Naga people. Questions have been raised in this House again and again. May I submit to you that it was the initial mistake, the indifference, the lukewarmness of this Government with regard to the feelings of the Naga people that started the trouble and when bitterness gripped the minds of the people, its solution became difficult. Today I am sure that this Government is prepared to do anything in order to solve the Naga problem; but, I am sorry to say that I see very little signs of an early solution of this problem.

May I tell you that unless this problem of the Hills people is solved, the example of the Nagas will spread to the other Hill areas. Already there is a movement like that in one part of the Hill areas in the Mizo Hills. A demand for secession from India is there. The attention of the hon. Prime Minister was drawn to that. The attention of the hon. Home Minister was drawn to that. These people who won the by-elections last time had made secession from India their election manifesto. Today there are rumblings everywhere in the Hill areas. May I submit with all the earnestness that I can to the hon. Home Minister that it is high time that he pays attention to these things and not be guided by the suggestions made in this report.

Shri Basumatari: Sir, at the outset I want to reply to the charge of Shri Swell in regard to the report of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission. It had nothing to do with politics. I also request him to read article 339 of the Constitution and see what is written there. I have no time to read it out to him but I request him to read himself.

Shri Swell: May I ask the hon. Member to point out to me where it is said that the report has nothing to do with politics? The words of the Chairman himself are......

Mr. Speaker: Now he has the right to say. He can explain afterwards if he feels that he owes an explanation.

Shri Basumatari: He has himself said that they were economically well up and, at the same time, were educated. I cannot deny that. Therefore the provision in article 339 of the Constitution does not cover what he wants. The charges that he has made in this House against Dhebarbhai or the Commission are therefore baseless and unfair.

This report is a very big and exhaustive report and the Commission has come to the conclusions in this report after visiting all the areas and after looking to the economic and educational development of the Tribal people. The main function of the Commission has also been to see what, how and to what extent the Tribal people have developed. So, I am very grateful to the Government for appointing this Commission at the proper time. But I would have been more thankful if the Government had appointed the Commission earlier. By the word 'earlier', I mean before the Planning Commission came into being. If it had been appointed before the Planning Commission and the planning period came in, these suggestions that have been made here would have been incorporated in the plans of the Planning Commission. So it is rather too late in my opinion because this Commission was appointed after ten years while reservations and other provisions were over.

With the help of the great man, the kindness of the late lamented, Shri G. B. Pant, and the great leader of the country, somehow or other we managed to get the reservations extended for scheduled castes and scheduled tribes. We feel that the report which has been given—it has been for 10 years in our hands—will be carefully taken into consideration by the Government.

13 hrs.

I am glad the Home Minister convened a conference of the State Ministers holding the portfolio of scheduled castes and scheduled tribes and other backward classes on the 26th and 27th July, 1961. Most of the important points were incorporated in this report with the blessings of the Prime Minister. We discussed with the Prime Minister all the important points and we wanted that they should be implemented. But when the conference took place, I am very sorry to say that those important points were left out, rather it was discussed in a half-hearted manner. Now out of 64 recommendations, 24 recommendations have been accepted unconditionally and with some reservations they have accepted only 6 recommendations and about the remaining 34, difficulties have been pointed out saying we have not the slightest doubt about the sincerity of the Home Ministry or of the personnel holding the portfolio. But they cannot implement the recommendations sitting in Delhi. Therefore, it is the duty of the State Governments to implement what the Central Government wants them to do.

Now the most important point that we emphasized was that the Chairman of the Advisory Council should be a Chief Minister. From my personal experience, Sir, I can assure you that the Minister holding the portfolio of the scheduled castes and schedul-

ed tribes and other backward classes had not been found competent to reply when questioned by the members in the Advisory Council. Therefore, we insisted that the Chairman of the Advisory Council should be the Chief Minister himself. If it is not possible to hold this portfolio in his hands, then we want that he should be the Chairman of the Council so that he can explain what difficulty is there in implementing the scheme, whether it is possible or not. Recently, I had an opportunity to attend the Advisory Council meeting in my State of Assam where the Minister-in-charge could not give a reply when questioned because it was not possible for him to reply. I quite realise that. Therefore, with all this experience, we insisted that the Chief Minister should be the Chairman of the Council. That had been rejected or explained in various ways in the conference.

Then, I come to another point. The Commission visited almost all the areas, and came across the difficulties. You will be surprised to know that in some areas in the southern and eastern zone there prevail obnoxious systems of Gothis, Sagri, Hali etc. These systems are permanent, perpetual, *begar.* This goes on family after family. Therefore, we wanted that this money-lending system should be abolished by law and there are laws in every State. This law was enacted at the time of British rule. When we examined this law which was existing in the other States, it was found that by this law the economic conditions of the tribals could not be protected. Therefore, we insisted that the law should be amended in such a way that this could also protect the tribal people from money-lenders. But here it is explained in a long way that it is difficult. We request that law should be enacted to protect the farmer from money-lenders. We are glad to have a man like Dhebarbhai as the Chairman who knows the difficult ies of the tribal people. This point was discussed with the Prime Minister. The Prime Minister expressed sorrow over this that in these days there is a system of *begar.* This was not accepted *in toto* in the conference.

Another point is about the rights of the tribals in forest area. My esteemed friend, Mr. Swell said that they are very forward in the whole of India. During the old British times and also in the times of the native States, the tribals used to get fuel free of charge and they used to get timber free of charge for building their houses and there are some areas set apart for their cultivation. Now, that has been taken out in the name of national development. We are not opposed to the national development; we are not opposed to any project which is for the development of the country. We wanted only that there should be some sort of a privilege given to them, to the forest people with whose assistance the forests are protected.

Again you will be surprised to know what we found in Jabua district which is represented by the hon. lady Member. We were told that there were 558 primary schools in existence and that we need not bother. So, I, with other friends went there and we found that there were only 50 out of 558 primary schools. When we questioned the officer-in-charge of the schools, he said, this is the circular of the Government. We have to solve the unemployment problem. Therefore, we have to appoint 559 teachers for schools". But the schools in existence were only 50.

Similarly, we visited the other area and found that there were 19,000 landless people, not having wells, not having a single school and not having a single dispensary. When questioned, the reply was that they could not get school or dispensaries because they were a shifting population. What is the meaning of shifting population? They are to move along with the development activities of the forest. So, this is the position these days when we are talking of bringing

[Shri Basumatari]

these people in the same level. Now, the excuse given is that they are a shifting population. This is the reply. So, I told the Prime Minister that this is the way the administration is going on in the States. So, we wanted some provision to be made for the tribal people in the forest area.

Then Sir, we suggested that the tribal should be in-charge of the portfolio because he knows the heart of the tribal people, he feels the actual need of the tribal people and can discharge his duties well. We have found that there is callousness and indifference towards the development of tribal areas. I have found even some of the Chief Ministers saying that there cannot be any reservation for the scheduled castes and scheduled tribes because they have to solve the problem of refugees and others. Therefore, taking all the points into consideration we wanted that the portfolio should be entrusted to the Chief Minister and even if it is not with the Chief Minister there should be a Minister who can help him. That has been rejected.

Mr. Speaker: The hon. Member's time is up.

Shri Basumatari: I as one of the members of the commission request that I may be allowed to speak a little longer.

We want them just to allow one of the tribals to share the responsibility in administration of developing the tribal areas, who knows the tribal conditions heart to heart. I do not say that the Home Minister and the lady Member do not feel for the tribals. I am sure that our Ministers are very sincere and they are hard working. Therefore, I must congratulate them on the work that has been done during all these days.

These are the points which I want to make. In conclusion, I would like to emphasise the need for more dispensaries in the tribal areas. We have found that there are areas where the health services are not doing upto the mark. We have found also some areas in some districts where the people are suffering from yaws, leprosy, venereal diseases and such other diseases; and about 70 to 80 per cent of the people in those districts are suffering from these fatal diseases. When we raised this question in the conference that was held, the Minister had said that it was a lie and it was not true. But when we produced the reort given by their officers in charge of those areas, we found them convinced about the fact. So, the health services in these tribal areas should be expanded more carefuly.

I should also mention that the implementation of the Constitutional provisions in respect of the Scheduled Tribes etc. is not at all adequately observed and not at all respected so far. I would submit that these constitutional provisions should be earnestly and seriously implemented. Before submitting this report, we had met the Home Minister also on this matter and urged him to see that the elaborate report that we would be submitting should be fully implemented. Otherwise, the condition of the tribal people will not improve very much. The hon. Home Minister, while initiating the debate on an earlier occasion and also while moving the motion for consideration of this report had stated that Government wanted that the tribal people and the Scheduled Castes should not say later on 'We are still in the same position, and, therefore, we want that the period of reservation should be extended.' But, for that purpose, we need greater implementation of the constitutional provisions. At the same time, I would also request that Government should allow us, the tribals also, to share the responsibility of the administration both at the Centre as also in the States in regard to the development of the tribal people. Otherwise, the constitutional guarantee will be of no use.

As I was saying in the beginning of my speech, already, it is too late. I regret that the importance that should

have been attached to this report has not been attached to it, and that is evident from the fact that even though we had submitted this report long before, in 1961, we are discussing it only in 1963. I would submit that due importance should be attached to this and the Dhebar Commission's report should be implemented as early as possible, word by word.

Mr. Speaker: Shrimati Ramdulari Sinha. She is not here. Now, Shri D. K. Deo. I find that after I have called another hon. Member, the lady Member comes and sits in her seat. Is she present in the House?

An Hon. Member: No. Shrimati Jamunadevi is here.

Mr. Speaker: She will have her chance, of course.

Shri P. K. Deo: While I take this opportunity to thank Shri Dhebar and all those gentlemen who have taken pains in making a thorough study of the tribal problems and in submitting such a voluminous report, I shall be failing in my duty, if I do not accuse the Government of having failed to carry out the mandatory provisions of the Constitution, so far as the safeguarding of the interests of the tribals against social injustice and exploitation is concerned. The Directive Principles of the Constitution are very clear in article 46, and article 275 makes clear provision for making appropriation from the Consolidated Fund of India for the said purpose.

13.15 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

The constitutional responsibility of the Union Government is exercised through the medium of the Governor of the State. If we make a study of the provision in the Constitution we find that it is nothing but a carbon copy of a similar provision in the Government of India Act, 1935. In those days, the Governor had a special responsibility, and his powers were quite different. But, in the present context, the Governor is just a figurehead, and he has got no executive function, nor has he got any machinery to carry out those responsibilities which have specially devolved on him. So, it becomes very difficult on the part of the Governor to carry out his duties, so far as the safeguarding the interests of the tribals is concerned.

In this connection, I would like to draw your attention to a very relevant remark made by the Commission at page 5 of the report. They have rightly pointed out the need for emotional integration, and they have stated that:

> "The most difficult part of integration is emotional integration and that of developmental activity is its psychological aspect.".

I quite agree that there has not been emotional integration. But what is emotional integration? How can emotional integration come out of nothing? It can only arise from certain environments or certain conditions and certain circumstances, and those have to be created. But considering the way these tribals have been kept in segregation, and the way we have dealt with them during all these years, there is no possibilty that there will be spontaneous emotion flowing from their hearts for integration.

There has been constant inroad in their lives, in respect of forest rights, in respect of their land ownership, in respect of developments, in respect of prohibition, and last but not the least, in respect of the trial economy, and that is the root cause of emotional antagonism.

Now, I would like to deal with some of these aspects. The most important of those is their forest rights. At page 125 the commission has rightly pointed out that:

> "To a vast number of the tribal people the forest is their well-loved home, their livelihood, their very existence.* It gives them food— . . . .It provides them with material to build their homes and to practise their arts. By

[Shri P. K. Deo]

> exploiting its produce they can supplement their meagre income."

This is what the forest means to them. How there has been a constant inroad into their forest rights will be pointed out by me subsequently. But, here I beg to submit that so far as the exercise of their forest rights is concerned, all along, there has been a state of tension and mutual distrust between the administration and the tribals. In 1894, when the Government of India formulated their first forest policy, the first inroad started, and in 1894, the forest officials first appeared on the scene. They started regulating the various forest rights of the tribals and thus restricting their traditional rights and privileges. In 1952, when free India had its forest policy after Independence, we find that there has been a further encroachment into the rights of the tribals. Of course, since then, there has been an increase of 40 per cent in the population, thereby creating more pressure on the forest. All those forest rights and those traditional privileges etc. became concessions in 1952, and it was at the sweet will of the Government to grant those concessions.

Then, more emphasis was laid on realisation of maximum revenue from the forest resources, and these have gained in importance in current years. When the forest contractor appeared on the scene, there was further inroad and encroachment on the rights of the tribals in the forests. It is these contractors who are the source of uncontrolled exploitation—that is the phrase used by the Commission. The contractor has a pull with the officers of the forest department. The tribal seldom knows the forest rules and he is at the mercy of the contractor.

Take the case of the kendu leaves in my State. It is mostly grown in the tribal area. We have been shouting in this House and in the Orissa Assembly how the tribal interests have been sacrificed at the altar of self-interest of the contractor and of the corrupt government officials. We know what a petty sum is paid to the tribal tenant or to the kendu leaf pluckers and what amount of profit is made by the contractor who invests on a bag Rs. 25 and sells it at Rs. 250. Similar is the case with tamarind, chirounji and several other minor forest products. Bamboo, freely available to the tribal for his craft, has now to be purchased at a prohibitive rate thereby killing his livelihood.

Coming to land legislation, we find that though the intention has been very good, there are various loopholes in the legislation enacted by several States. If you study the migration of the tribals from the plains to the hills, you will find that all along an attempt has been made on various pretexts to deprive the tribals of their paternal land. The tribal goes to the forest; he retreats to a difficult terrain. There when he takes to shifting cultivation or jhuming, it is forbidden by law. Though he has been doing this sort of cultivation from times immemorial, he has been told now that it will create erosion of soil. But, you must appreciate the difficulties of the terrain in which he resides, how he ekes out a living from that surrounding. In page 4 of the Report, it is stated:

> "Similar is the question of shifting cultivation which is described as a wasteful method. Here again the terrain and not the tribal cussedness has to be blamed for its practice. The inclines of the mountain sides leave the people no other choice. It is hard to imagine the slope of the terrace for cultivation. Those who actually see the terrain find it difficult to castigate the tribals for their wasteful methods."

In this connection, I beg to submit that the attitude towards shifting cultivation, which has been practised to a large extent in my State and in Assam, has to be reviewed, and unless and until alternate occupation is provided to the tribals or they are set-

tled on better lands, they should not be deprived of this age-old practice.

Regarding indebtedness, it has been pointed out by previous speakers that usurious rates of interests are charged by moneylenders. We know how the mahajan advances petty sums to the tribals at the time of festivals and collects it in the form of produce with 150 per cent interest. All these have to be stopped.

Here I would be failing in my duty if I do not point out the miserable conditions under which the tribals are living and how they have to make sacrifices for the various development works. Take the case of Rourkela or the factory at Hattia in Jagannathpur. Thousands of adivasi families have been uprooted from the factory areas, but uptil now no alternate employment has been provided to them. If you study the live register of the employment exchange at Rourkela, you will find that all those who have been deprived of their homes are now beggars in the streets. Nothing has been provided to the people in the Jagannathpur-Hatia area. They have been uprooted. They just wanted a peice of land in the township that is growing to build their houses according to the specifications of the authorities. But they were denied that privilege. So even though we may be paying lipservice to the Adivasis, we are the biggest criminals in neglecting their interests.

Take the case of prohibition. All those who are half-hearted towards it, who have no faith in it, are put in charge to implement it. In my supplementaries, I pointed out regarding my Chief Minister, how by this half-hearted policy of prohibition, illicit distillation is going on, smuggling is going on from one district to the other. In Koraput district, which borders my district, there is complete prohibition, even though *nam ke waste*. But in my district, Kalahandi, there is no prohibition there due to large-scale smuggling of liquor going on at the border. As a matter of fact, in the small tribal villages, villagers used to make a home-brewed wine. Now they have to buy it from contractors. Those liquor shops which used to fetch Rs. 300 a year are being given to the liquor contractors at Rs. 30,000 a year. It is the profit motive which has prompted the Government to pursue this policy. In these border liquor shops or roundabout, there have been regular cases of murders going on with the connivance of interested parties, but nothing has been done.

Regarding classification of tribals, it is the political motive which prompts Government in making them. The Bhatras who reside in Koraput district are treated as non-tribals whereas the Bhatras in Bastar district are classified as tribals. If the former are classified as tribals, it will completely upset the political pattern in my State. So they are treated as non-tribals whereas in Bastar they are treated as tribals and enjoy all the facilities given to tribals.

Lastly, I support the demand by Shri Basumatari and others and in all humility request the Prime Minister to take this opportunity of the reshuffle of the Cabinet to have a tribal in his Cabinet if he is really keen that their interests should be safeguarded. There are capable men among them like Shri Basumatari—Shri Jaipal Singh who has already joined the Congress—and Shri Maheswar Naik and others.

Shri Hem Raj (Kangra): The report that Shri Dhebar has given to this august House is a voluminous one. He and his colleagues have taken great pains to judge the condition of the tribals after having toured their areas throughout India. A remark was made here that this report is perfunctory and has not gone deep into the matter. I differ from that and say that they took the trouble to journey into such difficult arduous regions like that of mine—Ladakh, Lahaul and Spiti—areas which are snowbound for 8 months in the year. They had to take to a life to which they were not habituated. After having

[Shri Hem Raj]

undlertaken such an arduous journey, they have given us a very informative report, and for that we are thankful to them.

Under the British rule, these areas were secluded, at least my area was, and we were never allowed to go there. It is after independence that we are able to visit these areas. After independence a vast change has come to these areas.

We do not have the staff trained for the purpose of serving these people who are very backward and constitute the weaker sections of our society. So far as I know, the only institute that exists for training officers to serve in these areas is the Tata Institute. So, I request the Government to open more institutes, and to train young men from these areas themselves to serve the people in these areas. Last time some people from Lahaul area wanted to join the Tata Institute, but there was no space to admit them. So, more institutes should be opened.

The only criterion for giving grants to the tribal areas in the Third Plan is population. Under this, such big areas like Ladakh, Lahaul and Spiti, and Kinnaur will get nothing. Lahaul and Spiti has an area of 6,000 square miles, but only a population of 18,000. So, I suggest that population alone should not be the criterion. The level of development of the area, the financial position of the State concerned and the special position of the border districts must be kept in view.

I also find from the report that some States have not been able to spend the provision made because they did not have the machinery while, others, like Punjab, having spent their allocation, asked for more but were not given. So, the performance of the State should also be taken into consideration.

Another recommendation of the Commission is that more areas should not be declared scheduled areas, but more amenities may be given to them. My own view is that even if the population is very small, if it is a compact area, it should be considered a scheduled area. For instance, Chota Bhangal and Bada Bhangal in my area, which were perhaps not visited by the Commission, are like Spiti in their level of development, but their population is only 6,000. Such areas deserve to be declared scheduled areas

So far as Lahaul area is concerned, the Gaddis have been declared to be scheduled tribes, but they are not inhabitants of that place. They are inhabitants of Kangra and Kulu valleys. They reside near Dhauladhar, between 6,000 and 12,000 feet height. They are shepherds, a nomadic tribe. They have been declared to be scheduled tribes in an area where they do not reside, but not in the area where they reside, which is an anomaly. In the very first page, the Commission has said:

> "Similar is the case of Gaddis who are found in the Himachal Pradesh and the adjoining Punjab hills. In Himachal Pradesh they are recognised as scheduled tribes, but in the Punjab they are treated as scheduled tribes only in the scheduled areas where they do not live. We would request you to see that this anomaly is removed in the interest of rendering human justice to these people."

A representation was made by me to the Commission and the President. I hope the Ministry will see that this injustice is removed.

Then there is the case of Chota Bhangal and Bada Bhangal, an area which is surrounded on the one side by Kulu Sub-division, on another side by Himachal Pradesh, and on the third side by the tehsil of Palampur. This is a triangle to which I have to travel *via* Himachal Pradesh, and it is at a height of 10,000 to 14,000 feet. It is also an area undivided where the

percentage of education is very low, and the economic condition of the people is very poor. So, I want that this area should also be declared a scheduled area. The Punjab Government represented to the Commission and the Central Government, and the Commission has also proposed that this area may be declared to be a scheduled area. I hope the Government will acoede to this request.

Shri D. J. Naik (Panchmahals): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on this report. I was a member of the Commission and though not a tribal, you may say I am an adopted tribal. Mr. Swell said that this voluminous document should be scrapped. This report has been hailed by all sections of this House and by all social workers of this great country and by all political workers also. Perhaps he has not read the introduction which gives the terms of reference. It says:

> "The Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission shall report on (a) the administration of the Scheduled Areas under the Fifth Schedule to the Constitution, and, in particular, as to the functioning of the Tribes Advisory Councils...."

We are not concerned with the VI schedule, which applies to the autonomous hill districts of Assam. Even then we had been to Assam and met many people there. Perhaps Mr. Swell might not have met us because he was not at that time a Member of Parliament but the leaders and people of the Khashi and Jaintia Hills, of the Mizo Hills and of the Garo Hills and of NEFA have all met us. I met about 2,000 tribal leaders and workers in Assam. The tribal leaders were in the big conference held at Shillong. Mr. Swell has told us that the hill people are educationally quite far ahead, socially also they are quite far ahead and economically also they are quite far ahead. The problem is political, he says. We were not concerned with political problems. The terms of reference nowhere indicate that we must go into the politics of Assam. Why should he then take up this question in this House and create fissiparous tendencies. Shri Jaipal Singh, protagonis of Jharkhand, has signed this report. Dr. Elwin was a Member of this Commission, and he has signed this report. This is a unanimous report and that unanimity has been achieved by our Chairman, Shri Dhebarbhai. I give my compliments to Dhebarbhai who is not at present in this House. Really on account of his affable manners and love towards tribals the unanimous report has been brought. This report is not liked by Mr. Swell. I do not know whether he has read that report or not. He is a great professor and, I suppose, he might have gone through the report. But he has conveniently forgotten the chapters on Nagaland, on Assam, on NEFA, etc. At Shillong, Captain Sanganna and some M.L.As. met us. Out of eleven members of this Commission five were tribals. Mr. Basumatari, Mr. Wadiwa and Mr. Jaipal Singh are tribals. As I said earlier, I am an adopted tribal. Similarly, we can say this about Dhebarbhai as he is the President of the Bharatiya Adim Jati Sevak Sangh. Mr. Manikyalal Verma is also an adopted tribal so also Dr. Verrier Elwin. How can one say that there has not been full representation to the tribals in this Commission.

Sir, this report is a very comprehensive document. The members of the Commission travelled far and wide. They went to Spiti. Dhebharbhai was in Spiti and at his age he crossed two passes: Rotang, 13,500 feet high and Kunzung pass, 15,000 feet high. I tried but I could not cross Kunzung pass and I had to go to Kelong and spend about 4-5 days. The members went to the semi-deserts of Rajasthan, into the thick forests of Assam, NEFA, M.P. and Orissa. How can one say that we have not done our duty properly. For two years we studied the tribal problems; we met thousands

[Shri D. J. Naik]

of people, not less than 50,000 people. The result was this document. The tribals call this document as the Gita of the tribals. It is really a matter of great satisfaction that this report has received sympathetic consideration of the Home Minister, Shri Lal Bahadur Shastri. He has deep love for the tribals and he called a conference of all the Ministers of States in charge of tribal affairs as well as all the Chief Ministers. I am glad that most of our recommendations have been accepted by this conference. Some have not been accepted as Mr. Basumatari has told us but I hope that they will also be accepted.

But the problem is about their implementation. Shastriji told in the other House:

> "Our programmes and schemes are good and sound. But the main point is that of implementation and if we can implement those recommendations fully, then alone it would be possible for us to achieve results. I told the Conference that we talk of social justice, etc. but it all evaporates or fades out if we are not able to execute our schemes properly. For that, not only at the Centre or the provincial level, but even at the district level we have to see that the schemes are properly executed."

These are the words of Shastriji. Now that he is leaving us; otherwise he would have implemented those recommendations. I hope his successor would implement these.

On the 6th of September, the hon. Shastriji announced in this House that those areas having a population of 66-2/3 per cent. of tribals will be covered by tribal development blocks. 6th September, 1962 will be considered as a red letter day for the tribals because not only areas having 66-2/3rd per cent. of tribal population will be covered by tribal blocks but they will be started in areas having more than 50 per cent. of the tribal population. That is what he announced in this House. I am glad that the Planning Commission has allotted an additional sum of Rs. 7 crores in the third Plan for 120 more blocks. The Planning Commission has also agreed that preparatory arrangements should be made for covering all those areas which have a population of 50 per cent. in regard to the formation of tribal blocks. This is a good approach suggested by the Commission, and "the Alternative Approach" which has been recommended is the core of the report. Instead of increasing more Scheduled Areas, the Commission came to the conclusion that the purpose can be served by having more tribal development blocks to cover all the tribal people and by protecting them from exploitation by the moneylenders, by contractors, and others, and by protecting their rights on land and their rights in forests. That is the alternative approach and the Home Ministry has agreed to implement it. Therefore, I say that 6th September, 1962 will be considered as a red letter day for the tribals. No doubt, it is a question of implementation, but we hope that the implementation will be done.

Next, I will turn to the economic condition of the tribals. Much has been done during the last ten years, but even then I am not satisfied. I have worked among them for the last 40 years. I have become impatient. Therefore, I beseech and appeal to the Government to do everything that they can for raising the economic level and educational standards of the tribals.

There are tribes and tribes which are on the lowest rung of our social and economic life: the Mikirs of Assam, the Chanchus of Andhra, the Birhors and Asurs of Bihar, the Scharias of Rajasthan and Madhya Pradesh, the Baigas and Marias of Madhya Pradesh, the Kadars and Panians of Kerala and Madras, the Naiks of

Gujarat—not myself—there is a tribal community called Naiks,—the Katkaris of Maharashtra, the Kutia Kandhs and Bondo Projas and Hill Bhuniyans of Orissa—to name only a few, are all in the lowest rung of our economic life. Much has to be done for them.

The average annual income of a tribal family in Rajasthan comes to Rs. 677. In Rajasthan, the average number of members of a family is actually 5·4; as I said, the average income is Rs. 677 per annum, in Madhya Pradesh, the average size of a family is 6·57 and the family income is Rs. 687·17. In Gujarat, the income is Rs. 700, the family consisting of 6:8. So, it comes to about Rs. 120 a year *per capita*. This is in spite of the development which the Government are carrying on. This survey was done in the tribal blocks after three or four years of working. Even then the result is this.

We had been to Orissa also. We were told by the Oriyas that they eat roots in the hills. The roots may not be carrots or *mulis* but wild, poisonous roots. Before eating them, they have to be kept for two or three days in running water, and then and then only can they be taken as food. They take such types of roots. Then comes the fruit. Perhaps my hon. friend from Punjab may know the apple, but it is not the apples that these people eat. They eat wild fruits. Fruits for them mean wild fruits and shoots mean bamboo shoots. In Orissa, there is an adage:

राम अवतारे रावण मारे, कृष्णअवतारे
मोहिली गोपी, आजि खाई अच्छि सेही तरकारी

Mr. Deputy-Speaker: Not more than 15 minutes for each Member. There are other Members also wishing to speak. You can take five more minutes.

Shri D. J. Naik: I should be given more time. Seven or 8 more minutes may be given. I need not explain this verse. Hon. Members from Orissa and Bihar may understand what it is. So, this is the position.

Shri Raghunath Singh (Varanasi): What about the quotation? Let him explain.

Mr. Deputy-Speaker: His entire report is before the House.

Shri D. J. Naik: But there are many things which are not before the House. Therefore, I want to mention them. I say that development programme in the tribal blocks should be given a reorientation. The whole programme needs a reorientation. The existing type of development activities would not raise the level of the tribal economy or the tribal social order.

We went to Punjab and Himachal Pradesh also,—in the inner Himalayas. The demands of the tribal people there were: *kuhal*, wool, school and *pul*. *Kuhal* means irrigation channel. High up on the hills there is snow, which melts in summer. The water flows there with great velocity and that water is being diverted through the channels to the fields. Then comes wool; that is, industries based on wool should be started; the demand for cloth is there; that is why they want cottage industries. Then comes school. Then there is the need for *pul*, that is, communication through bridges. So, we see how these unsophisticated tribal mind works; first, they want economic development. Then comes education. This is the supreme demand of the tribals everywhere—in NEFA, in Assam, in Madhya Pradesh and in Rajasthan. Indeed, everywhere there was a demand for more and more irrigation facilities either by wells, reservoir or by any other means. So, irrigation should be the first item in the tribal development blocks and as much money as possible should be spent on irrigation, on the development of agriculture and on the development of cottage and village industries.

The problem will be solved only if the resources of land, forest, cattle wealth, cottage and village industries,

[Shri D. J. Naik]

etc., are all mobilised on an integrated basis. We have said this in our report also. The whole development programme should be reoriented in such a way that we can give employment to the tribals for 300 days in a year, give them two square meals a day and a well for good drinking water. These are the main requirements of the tribals.

Then I come to the lands and forests. I am not going to speak on land, but at least on forests I am going to speak. I will take five or ten minutes more. The forest policy was first laid down in 1894 by the British. They curtailed the rights which were enjoyed by these tribals from times immemorial. That went on up to 1952 and then a national policy was formulated according to which the traditional rights of the tribals were not recognised as rights but were regarded as concessions. I have no quarrel with that, but what is the exact position?

14 hrs.

We want to have more forests. We want to have regeneration of forests. We want to have development of our forests. But how are we to do it? The officers of the forest department of all the States have no trust in the tribals. They consider the tribals as thieves. How can the forests be developed, how can the forests be regenerated when the officers of the forest department have no trust on the tribals? They are the protectors of our forests. They are the sons of our forests. During the monsoons while tilling the soil a tribal's plough gets broken, what is he to do? He cannot get even a piece of timber there. He has to go ten miles to a station depot or to a town just to get a piece of timber to repair his plough. Instead he goes to the forest and cuts a tree to meet his purpose. Supposing during the monsoon his hut goes down, he will require two or three ballies to repair his hut. He does not get them near his hut. He has to go to a town ten miles away for getting these two or three ballies for repairing his hut. Therefore, what he does is, he goes to the forest and cuts a tree and makes two or three ballies.

Shri Nambiar (Tiruchirapalli): I hope, Sir, you are not following the clock in the Chamber. There is something wrong with it, it has stopped.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member must close now. He has already taken 22 minutes.

Shri D. J. Naik: Sir, the point is, these requirements of the tribals must be met at the forest itself. Then, the forest workers' co-operative societies which are doing good work in Maharashtra and Gujarat and also in other States should be encouraged. There is a Scheduled Tribes Co-operation Finance and Development Corporation in Andhra Pradesh which is doing very good service to the tribals. Such institutions on the lines of the Andhra Pradesh institution should be started in all the States.

Sir, I have taken much of your time. I have to speak on many other points. But hon. Members from the Opposition are asking me to look at the clock.

Shri Nambiar: We said that the clock has stopped. It is not your fault.

An Hon. Member: Only you are lucky.

Shri D. J. Naik: Sir, I will take only two more minutes. There is this report of the Committee on Special Multi-purpose Tribal Blocks. This shows how these various tribes are being treated. We had gone to the Narsampet Multi-purpose Block. There is a very big Game Sanctuary in that block and the tribals are not allowed to fish in a very big lake there called the Pakhal Lake. Dr. Verrier Elwin writes in this connection:

"The enormous Game Sanctuary could with profit be reduced in

size. It contains no rare species; there are no game wardens, it is unwieldy and unmanageable. There are far too many villages and people living within its main boundaries. Fishing is not permitted in the Pakhal Lake or in any lake within the Game Sanctuary or, in other words, within the Block area. Yet in these lakes, and specially in the Pakhal Lake, there is a wonderful potential reservoir of food. I understand that fishing is prohibited because of the alligators who need the fish. One can understand this, for alligators are charming creatures who must be cared for, but human beings also deserve a little attention.

Here is an explosive situation which could easily be exploited by political adventurers; here is a human situation which must excite compensation and active intervention, if necessary at the highest level."

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member must close now.

Shri D. J. Naik: Sir, one word more. The Panchsheel about the tribal affairs which has been enunciated by the Prime Minister should be implemented.

श्री उटिया (शहडोल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे इस मसले पर बोलने का सुअवसर दिया। जहां तक आदिवासियों का सम्बन्ध है मैं कह सकता हूं कि मैं उन्ही का नुमाइन्दा हूं और उन की समस्याओं से जन्म से ही परिचित हूं।

ढेबर कमिशन की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में आदिवासियों की जनसंख्या सवा दो करोड़ से ऊपर है और इस का एक पंचवांश याने ५० लाख आदिवासी हमारे मध्य प्रदेश में बसते हैं। आज़ादी मिलने के बाद हमारे क्षेत्र में दो, तीन बार राज्य पुनर्गठन होने से प्रशासन गड़बड़ रहा और १९५६ के बाद से अभी तक लगभग ७ वर्षों में प्रशासन में कोई सुधार हुआ है ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। भ्रष्टाचार तथा प्रशासन में ढिलाई, पक्षपात और लालफीतेशाही की हजारों शिकायतें आज भी बनी रहती हैं। इन की वजह से जब आम जनता का ही कुछ भला नहीं हुआ तो बेचारे गरीब आदिवासियों की सुनवाई कैसे हो ? मध्य प्रदेश की सरकार ने आदिवासियों की हमेशा उपेक्षा की है। जिस प्रकार की समस्याय एक साधारण नागरिक के जीवन में आती हैं, उसी प्रकार का जीवन एक गरीब आदिवासी का भी है। यदि यह बात सरकार समझ सकती तो आदिवासियों के कल्याण के लिये कोई विशेष योजना होती।

मेरे प्रदेश में हर ५ आदमी में एक व्यक्ति आदिवासी है परन्तु उसकी गिनती ऐसे की जाती है जैसे वह है ही नहीं। कमिशन की रिपोर्ट भी यह बात मानती है। जरा ध्यान दीजिये। अनुसूचित क्षेत्रों तथा जंगलों के भीतर रहने वालों के उचित विकास के लिये राज्य तथा क्षेत्र स्तर के प्रशासन को चुस्त बनाना होगा। मध्य प्रदेश सरकार राज्य के खाते से आदिवासियों के लिये ४ करोड़ ९९ लाख रूपये में से सिर्फ १ करोड़ ९३ लाख रुपये खर्च कर सकी और केन्द्रीय सरकार के खाते से नियत २ करोड़ २७ लाख में से १ करोड़ ५७ लाख रुपया। आदिवासी विकास खंडों के लिये डेढ़ करोड़ रुपया दिया गया था जिसमें से १ करोड़ १७ लाख रुपया खर्च किया गया। अर्थात् दूसरी पंचवर्षीय योजना में, मध्यप्रदेश में आदिवासियों की उन्नति के लिये जो रकम दी गयी थी उस का

[श्री उटिया]

६१ प्रतिशत खर्च नहीं किया जा सका । सरकार कितनी चुस्त है और आदिवासियों के प्रति कितना ध्यान दिया जा रहा है यह इसी बात से साफ हो जाता है ।

अब समस्याओं पर भी एक नजर डालिये । हमारे यहां उद्योग धंधे ज्यादा नहीं हैं । आदिवासियों की इतनी बड़ी आबादी की आजीविका के मुख्य दो साधन हैं, खेती और जंगल । खेती के लिए कम से कम २५ प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, ५० प्रतिशत ऐसे हैं जो खेत मजदूर करते हैं और बाकी २५ प्रतिशत के पास जमीनें हैं और उन में धनी लोग हैं । भूमिहीनों को जमीन देने की कोई योजना नहीं बनाई गई । जिनके पास हैं उन की जमीन छुड़ाने की बड़ी योजनायें बनीं । अमलई में कागज का कारखाना बनाने के लिये सैंकड़ों लोग वेदखल कर दिये गये । उन्हें उचित मुआविजा भी नहीं दिया गया और वे मजदूरी की खोज में दर-बदर भकटते फिर रहे हैं । कमिशन की रिपोर्ट में बताया गया है कि सरगुजा और रायगढ़ी जिले में वर्षों से पथरीली और चट्टानी जमीनों को उपजाऊ बना कर खेती करते आ रहे थे । उन से वे जमीनें या तो छीन ली गई हैं या उन्हें उन पर स्थायी अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं । जो खेतिहर हैं, वे उन्हीं पुराने तरीकों से खेती कर रहे हैं। उपज बढ़ाने के लिये सिंचाई, औजार, बैल, ट्रैक्टर और खाद आदि की सुविधायें प्रदान करने के लिए मेरे इलाके में कोई योजना नहीं के बराबर है । कर्ज देने के लिए जो सहकारी समितियां हैं, उन से कांग्रेस का चुनाव-प्रचार करने वालों को ही मदद मिलती है । उन में भी भ्रष्टाचार की हद है ।

किसान आदिवासियों पर पटवारियों के जुल्मों की एक अलग कहानी है । अभी राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के नाम पर धन वसूल करने के लिए बड़े सख्त तरीके काम में लाए गए, जिन की ओर मैं ने एक पत्र द्वारा माननीय वित्त मंत्री, श्री मोरारजी देसाई, का ध्यान भी दिलाया था । सुरक्षा के नाम पर लूटा हुआ धन कोष तक पहुंचा है या नहीं, यह तो ज्ञात नहीं है, लेकिन मुझे शिकायतें मिली हैं कि उस का बहुत सा हिस्सा बीच में ही साफ हो गया है ।

आदिवासी गरीब होते हैं, भोले भी और अपढ़ भी । कचहरियों में उन को जो परेशानियां होती हैं, उन की ओर मैं ने तथा अन्य माननीय सदस्यों ने समय समय पर ध्यान आकर्षित कराया है । हमारी जनता की गाढ़ी कमाई का बहुत बड़ा भाग घूसखोरी में ही लुट जाता है । जंगल विभाग लूटता है, रेवेन्यू विभाग भी लूटता है और पुलिस भी लूटती है । जंगलों से लकड़ी बांस के द्वारा हमारे क्षेत्र के आदिवासी रोटी कमाते थे । परन्तु अब वे न तो लकड़ी काट सकते हैं और न ही अन्य पैदावार के द्वारा रोटी-रोजी कमाने की आजादी उन को है । बांस तो छूने को नहीं मिलता । दस बरस पहले हमारा इलाका बांस से भरा पड़ा था, परन्तु राज्य के वन मंत्री की मेहरबानी से कई करोड़ रुपयों का बांस कट कर राज्य के बाहर चला गया और सिर्फ एक पूंजीपति, बिड़ला, की तिजोरियां भरने के लिए हमारे क्षेत्र की लगभग ३५ लाख की आबादी को अपने पेट पर पत्थर बांधना पड़ता है । बांस की लीज एक बहुत बड़ा गोलमाल है, जिस की ओर राज्य और केन्द्रीय सरकारों का ध्यान दिलाया जा चुका है । मैं मांग करता हूं कि इस लीज की जांच की जाये और मेरे क्षेत्र की जनता को यह बतलाया जाये कि उस से उसे क्या लाभ हुए हैं । यह तो कई लोगों की रोटी का सवाल है । जंगल की पैदावारों से रोजी कमाने के लिए शासन को चाहिए था कि वह उस की खरीद और बिक्री के लिए सहकारी समितियां बनवाती, परन्तु अभी तक मेरे क्षेत्र में एक भी ऐसी समिति नहीं है ।

आदिवासियों का गजारा पशु-पालन से भी होता है, परन्तु वे पशु अच्छी नस्ल के नहीं हैं। उन की उन्नति से दूध घी का व्यापार बढ़ सकता है, परन्तु कृषि तथा पशु-पालन विभाग नुमायशी काम के अलावा मानों कुछ जानता ही नहीं। मेरे इलाके में घने जंगल हैं, पहाड़ हैं, जंगली जानवर, जैसे बाघ, चीता, भालू, हिरन आदि, भरे पड़े हैं। गहरी घाटियां, नदी और नाले हैं, जहां शिकार तथा पर्यटन-केन्द्र खोल कर जनता की आय बढ़ाने के साधन पैदा किये जा सकते हैं।

गांवों में बीमारियों का प्रकोप होता रहता है, परन्तु सौ गांवों के पीछे भी एक अच्छा अस्पताल नहीं है—न जनाना अस्पताल और न मर्दाना अस्पताल। किसी किसी जगह तो देहाती लोग वैद्य या ओझा की शरण में जाने को मजबूर होते हैं। न तो उन को उचित सलाह मिलती है और न दवा। जचगी में मदद करने के लिए नर्सों को तो लोग जानते ही नहीं हैं। पीने के अच्छे पानी का भी बुरा हाल है। पांच गांवों के पीछे भी एक अच्छा कुंआ मिलना मुश्किल है। रहने के मकानों में हवा का इन्तजाम नहीं है। गांवों की गलियों में गन्दा पानी बहता रहता है और कूड़े के ढेर रहते हैं। लोग गोबर के ढेर के पास सोते हैं, परन्तु इन सब में सुधार कर स्वस्थ जीवन की शिक्षा देने का प्रबन्ध नहीं किया गया है।

लड़के-लड़कियों की पाठशालायें भी बहुत कम हैं। गरीबी इतनी अधिक है कि छोटे छोटे बच्चों को भी खेती-मजदूरी करना या ढोर चराना पड़ता है। अधिकांश आबादी तो बेपढ़ी है। महिलाओं की तरक्की या उन को सिलाई-बुनाई आदि की शिक्षा और अच्छी मां बनने की शिक्षा आदि की भी बड़ी जरूरत है। भारी जन-संख्या झौंपड़ों में रहती है। उन के लिए सस्ते परन्तु हवादार साफ सुथरे घर बनाने का काम बहुत आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए।

स्थानीय संस्कृति की रक्षा, नागरिक भाव, देश की जानकारी आदि की उन्नति के लिए विशेष योजनायें हाथ में ली जानी चाहिएं। चीनी हमले के बाद तो देश के बच्चे बच्चे में जोश तथा एकता की जो भावना पैदा होनी चाहिए, वह तो आदिवासियों के लिए भी जरूरी है, परन्तु उन बेचारों को देश का ही पता नहीं, फिर देशभक्ति कहां से होगी।

जैसा कि ढेबर कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है, राज्य तथा अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन चुस्त होना चाहिए। आदिवासी विकास-खंडों की स्थापना उनकी संख्या में वृद्धि के अलावा व्यापक तथा सर्वतोमुखी काम हाथ में लिया जाना चाहिए। जिस में आदिवासियों के हर पहलू का ध्यान रखा जाये। ऐसी इकाइयों की स्थापना सब से ज़रूरी है। ढेबर कमीशन ने आदिवासियों के कल्याण के लिए जो सुझाव दिये हैं, उन से साफ़ है कि उस ने आदिवासियों के जीवन, आचार-विचार, खान-पान तथा सभी पहलुओं और समस्याओं का बड़ी गहराई से अध्ययन किया है। इस के लिए मैं कमिशन को हार्दिक धन्यवाद देता हुआ अन्त में दो चार शब्द कह कर अपना भाषण समाप्त करूंगा।

हमारे राज्य के कुछ क्षेत्रों, जैसे रीवां, शहडोल, सीधी और सतना में, माल कानून की धारा २४८ से जमीन बेदखल की जाती हैं तथा धारा १७२ के अनुसार घर अपनी आराज़ी में बनाने के लिए मन्जूरी की जरूरत होती है। ये दोनों धाराएं हटाई जायें, क्योंकि इन दोनों धाराओं से जनता अधिक परेशान है और बहुत ही ज्यादा लूटी जाती है। अभी मैं अपने क्षेत्र में दौरे पर गया था। वहां पर मुझे मालूम हुआ कि गिरवी मौजा ब्यौहारी तहसील, थाना जयसिंहनगर में एक ब्राह्मण को धारा २४८ के तहत हुआ जुर्माना न दे सकने के कारण आत्महत्या करनी पड़ी। इसलिए मेरी बार-बार प्रार्थना

[श्री उटिया]

है कि इन दोनों धाराओं को हटा दिया जाये ।

इतना कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री धुलेश्वर मीना (उदयपुर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं ढेबर कमीशन की रिपोर्ट पर बोलने से पहले इस कमीशन के चेयरमैन, ढेबर भाई को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ट्राइबल एरियाज़ में जा कर आदिवासियों की स्थिति को देखा, समझा और बहुत से लोगों से मिल कर उन की दिक्कतों को दूर करने के सम्बंध में सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट पेश की ।

इस रिपोर्ट पर काफ़ी चर्चा हुई है और जो माननीय सदस्य बोले हैं, उन्होंने इस बारे में काफ़ी प्रकाश डाला है । मैं आप के द्वारा इस हाउस का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आदिवासियों के लिए जो कुछ भी वेल्फ़ेयर के काम हुए हैं, उन में से अगर किसी काम में अधिक से अधिक कमी रह गई है, तो वह है गवर्नमेंट सर्विसिज़ में उन का स्थान । जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, उन में ट्राइबल लोगों को उचित रिप्रजेन्टेशन नहीं दिया गया है । ढेबर कमीशन की रिपोर्ट को देखने से ज्ञात होता है कि १९५२ से ले कर १९६० तक आई ए० एस० और आई० पी० एस० में जो एप्वायंटमेंटस् हुई, उन में आई० ए० एस० में ३३ में से सिर्फ ९ एप्वायंटमटस ही ट्राइबल्ज़ को दी गई । आई० पी० एस० में १९५२ से १९६० के दर्म्यान में २८ में से केवल तीन सीटें दी गई हैं । मेरा निवेदन यह है कि जब से संविधान लागू हुआ है, तब से ले कर अब तक जितनी सीटें भरी गई हैं और उनके बाद जितनी भी खाली रह गई हैं, उनको इस जाति के लोगों से भरने के लिए मंत्रालय की ओर से कोशिश होनी चाहिये । जितनी भी कमी तब से ले कर अब तक बाकी रही है, उस को पूरा करना मुश्किल नहीं होना चाहिये क्योंकि इस जाति के लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में अवेलेबल हो रहे हैं ।

इस के अलावा जो सेंट्रल सर्विसिस हैं, उनको आप ले । १९५१ से ले कर १९५७ तक फर्स्ट ग्रेड में सिर्फ १४, सकिंड ग्रेड में ४९, थर्ड ग्रेड में ३१९० और फोर्थ ग्रेड में २११९ कमचारियों को लिया गया है । इन ग्रेड्ज़ में भी कई स्थान खाली पड़े हुए हैं । जब कभी भी शैड्यूल्ड ट्राइबज़ के लोग एप्लाई करते हैं तो यह कह कर कि **सूटेबल कैंडिडेटस आर नाट एवलेबल**, दूसरी जाति वालों से उन जगहों को भर लिया जाता है । उन सीटों को नान-ट्राइबल्ज़ से फिल अप कर लिया जाता है । चूंकि धीरे धीरे ट्राइबल लोग आगे भी बढ़ रहे हैं और ग्रेजुएट बन रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएट तक हो गए हैं, इसलिए उन्हें अवसर दिया जाना चाहिये और उन से ये जगहें पूरी तरह से भरी जानी चाहियें । सूटेबल कैंडिडटस मिल सकते हैं लेकिन यह कह कर के कि मिलते नहीं, दूसरों से उन जगहों को भर लिया जाता है । इस ओर आप का विशेष ध्यान जाना चाहिये ।

अब जो कम्पीटीटिव परीक्षायें होती हैं, जसे आई० ए० एस० या हमारे राजस्थान में आर० ए० एस० या आर० पी० एस०, उन के बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं । इस प्रकार की जितनी भी परीक्षायें होती हैं, उन में शैड्यूल्ड ट्राइबज़ के लोग दूसरी जाति वालों से कम्पीट नहीं कर सकते हैं । मेरा सरकार से निवेदन है कि इस प्रकार की जितनी भी कम्पीटीटिव परीक्षाय हों, वे शड्यूल्ड ट्राइबज़ और शैड्यूल्ड कास्टस दोनों की कम्बाइंड हों, जनरल जो कम्पीटीशन इन के लिये किया जाता है, उस से ये अलहदा होनी चाहियें । मैं मानता हूं कि कुछ सहूलियत इन जाति वालों को मिली हुई हैं, लेकिन वे काफ़ी नहीं हैं, सफिशेंट नहीं

हैं । इस प्रकार की कम्पीटीटिव परीक्षायें अलग-अलग से की जायेंगी तो वे इन में पास होने की योग्यता प्राप्त कर सकेंगे और इस प्रकार की सर्विसिस में जा सकेंगे । इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और उन से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे सोचें कि क्या इस तरह से इन जातियों के लोग आगे बढ़ सकते हैं और क्या वे दूसरे लोगों के साथ कम्पीट कर सकते हैं । अगर आप इन के लिए अलग से परीक्षा नहीं रखते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि जनरल कम्पीटीशन में कम्पीट करके ये आगे नहीं आ सकते हैं ।

शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइवज़ का जो रिजर्वेशन है और जो साढ़े बारह परसेंट है, वह दोनों का कम्बाइंड है । आपको अच्छी तरह से मालूम है और ढेवर कमिशन ने भी साफ शब्दों में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों के मुकाबले में शैड्यूल्ड ट्राइबज़ के लोग सभी मानों में बैकवर्ड हैं, इसलिए जहां तक रिजवेशन का सम्बंध है, शैड्यूल्ड ट्राइवज़ की सीट भी शैड्यूल्ड कास्ट्स के कैंडीडेटस के द्वारा फिल अप कर ली जाती हैं । इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस साढ़े बारह परसेंट में शैड्यूल्ड ट्राइवज़ का जो रिजर्वेशन है, वह अलग कर दिया जाना चाहिये ।

कम्पीटीटिव परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए आल इंडिया लेवल पर जो अलाहाबाद कोचिंग सैंटर है, वह सारे देश के अन्दर अपनी किस्म का अकेला है । वह एक ही है । मेरा सुझाव यह है कि इस प्रकार के कोचिंग सैंटर प्रत्येक स्टेट के अन्दर खोले जाने चाहिये और अगर ऐसा किया गया तो यह बहुत ही अच्छा होगा । अगर आप इस स्थिति में न हों कि इस प्रकार के सैंटर प्रत्येक स्टेट में खोल सकें, तो मेरा निवेदन है कि इन की संख्या को तो अवश्य ही बढ़ायें ताकि दक्षिण भारत के लोगों को या पूर्वी भारत के लोगों को जो दिक्कत उठानी पड़ती हैं, उन में कमी आ सके ।

जैसा कि आदरणीय वर्मा साहब ने पिछले साल अपनी स्पीच में बताया था ट्राइबल लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति गिरी हुई होने के कारण एजुकेशन प्राप्त करने में बड़ी दिक्कतें होती हैं । जहां तक राजस्थान का सम्बंध है, मैं आप के सामने एक मिसाल रखना चाहता हूं । वहां पर जो एग्रिकलचर कालेज है, उस के अन्दर अब तक एक भी विद्यार्थी इस जाति का नहीं था । दो साल पहले एक विद्यार्थी को किसी प्रकार से एडमिशन दिलाया गया । लेकिन दुर्भाग्य से उसे वज़ीफा नहीं मिला और इस कारण से उस की उस साल की एजुकेशन खत्म हो गई । लेकिन उस ने किसी प्रकार से सात आठ सौ रुपया लैंड मार्टगेज बैंक से या कहीं और से उधार लिया और अपनी स्टडी को एक साल के लिये और कन्टीन्यू किया । दूसरे साल भी उसे अपनी स्टडी जारी रखने के लिए वज़ीफा नहीं मिला । मजबूर हो कर दूसरे साल के बाद अपनी पढ़ाई खत्म करके घर बैठना पड़ गया । इस तरह की जो बात होती हैं, इनको रोका जाना चाहिये । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो टैक्नीकल कोर्सिस हैं, उन के लिये शैड्यूल्ड ट्राइबज़ के लोगों को वज़ीफा अलग से दिया जाना चाहिये ।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी वज़ीफा दिया जाता है, अर्थात स्कालरशिप दिया जाता है, वह साल के ऐंड में दिया जाता है, आखिर में दिया जाता है जब कि उन्हें अपनी पुस्तकें या अपने इंस्ट्रमेंटस वगैरह खुद की जेब से खरीदने पड़ते हैं । इतना पैसा वे अपने पास से नहीं ला सकते हैं । साल के ऐंड में वज़ीफा देने से उस विद्यार्थी की उस साल की पढ़ाई खत्म हो जाती है और अगर वह किसी तरह से अपनी पढ़ाई जारी भी रखता है, तो उसे फेल हो जाना पड़ता है । इस प्रकार की जो उनकी दिक्कतें हैं, इनको दूर किया जाना चाहिये । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन दिक्कतों के कारण अगर

[श्री धलेश्वर मीना]

टैक्नीकल कोर्स के अन्दर कोई विद्यार्थी दूसरे साल फेल होता है किसी कारण से, तो उसे पूरा स्कालरशिप नहीं तो कम से कम दूसरे साल आधा स्कालरशिप अवश्य दिया जाना चाहिये ।

हमारे बसुमतारी साहब ने कहा है कि शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ और शैड्यूल्ड कास्ट के लिए अब जो एक कमिश्नर हैं, उसकी जगह दो कमिश्नर अलग-अलग होने चाहियें । एक शैड्यूल्ड कास्ट के लिए होना चाहिये और दूसरा शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए होना चाहिये । मैं उनकी जो यह बात है, इससे सहमत हूं । अगर दोनों के लिए अलग-अलग कमिश्नर होते हैं तो वे दोनों शैड्यूल्ड कास्ट्स की और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ की अलग-अलग से इन्टेंसिव स्टडी कर सकते हैं, उन दोनों की अलग-अलग से क्या दिक्कतें हैं, इसको देख कर इनका हल सुझा सकते हैं, गहराई से उनकी समस्याओं पर विचार कर सकते हैं । इस सुझाव पर आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

अभी जो यह कहा गया है कि शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लिए जो एडवाइज़री कमेटी स्टेट्स में होती है, उसमें चीफ मिनिस्टर भी होना चाहिये । यह बहुत जरूरी है । मैं समझता हूं कि इस एडवाइज़री कमेटी का जो चेयरमन हो, वह भी चीफ़ मिनिस्टर ही होना चाहिये और साथ ही उसमें ट्राइबल लोगों की समस्याओं को अच्छी तरह जानने वाले लोग होने चाहियें ।

ट्राइबल लोगों के जो आम प्राब्लैम्ज़ हैं, उनकी तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । जो लोग गांवों में रहते हैं या जंगलों में रहते हैं, उन्हें गवर्नमेंट काफी हद तक सहायता पहुंचाने की कोशिश कर चुकी है और कर रही है । पिछले साल मंत्री महोदय ने अपनी स्पीच में बताया था कि सरकार आदिवासियों की भलाई के लिये धीरे-धीरे काफी ब्लाक खोल रही है । ब्लाक खोलने का मतलब यह नहीं कि ब्लाक खोला जा रहा है लेकिन उसमें काम कुछ न हो । आज होता यह है कि शिक्षा की दृष्टि से लड़कों को पढ़ाने के लिये नये-नये स्कूल खोले जा रहे हैं, उनका सैंकशन हो रहा है लेकिन साल-साल तक उनमें टीचर नहीं रहते हैं । दूसरे साल वह स्कूल बन्द हो जाते हैं और दूसरे स्कूल खोल दिये जाते हैं । आज ब्लाकों में काम हो रहा है । मैं चाहता हूं कि काम चाहे कम हो लेकिन जो कुछ भी हो वह सही ढंग से किया जाना चाहिये ।

इसी के साथ दूसरा सवाल टीचर्स के रखने का हो जाता है । मान लीजिये कि कोई यू० पी० का रहने वाला टीचर है और उसको राजस्थान के किसी प्राइमरी स्कूल में ले जाकर लगा दिया जाता है, तो उसको बड़ी दिक्कत होती है । उसको ट्राइबल एरिया में जाकर बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि उसे वहां किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है और न वहां किसी प्रकार का उसके आमोद प्रमोद का सामान होता है । ऐसी स्थिति में वह जल्दी से जल्दी पहाड़ों से भागना चाहता है । इस प्रकार का टीचर वहां के लड़कों को पढ़ा नहीं सकता है । लोकल एरिया का रहने वाला, जो कि लोकल लेंग्वेज़ जानता हो, लड़कों को ज्यादा अच्छी तरह से अपने वश में कर सकता है । इस तरह का टीचर हर एक एरिया में भेजा जाना चाहिये ताकि वह उन लोगों की कठिनाई को समझे और अच्छी तरह से पढ़ा सके ।

खेती के सम्बन्ध में जो भी विकास कार्य ब्लाक डवलपमेंट अफसर के द्वारा किया जाता है उसमें कई प्रकार की दिक्कतें लोगों के सामने आती हैं । कारण यह है कि वहां पर चाहे जितना भी पैसा खेती के नाम पर लगाया गया हो, लेकिन कुछ लोग जिनको ग्राम सेवक या पटवारी कहा जाता है, वे किसानों को

हर प्रकार से परेशान करते हैं। मगर सरकार का ध्यान इस ओर नहीं गया। जो आदमी जमीन को जोतता है, उस पर खेती करता है, जब तक उसको, जमीन पर खेती करने वाले को, आवश्यकता के अनुसार सुविधा नहीं दी जाती है तब तक वह अच्छी तरह से खेती नहीं कर सकता क्योंकि उस पर सभी प्रकार से अंकुश लगाया जाता है। उसे डर बना रहता है कि पता नहीं किस समय पर पटवारी, किस समय ग्रामसेवक आ जाये और वह कैसे मेड़बन्दी करे। एक-एक इंच जमीन के लिये ग्राम सेवक और पटवारी जाकर झगड़ा खड़ा कर देते हैं। ऐसी हालत में मेरा निवेदन यह है कि किसानों के लिये, खेती में काम करने वालों के लिये इस प्रकार के कानून बनाये जाये जिसमें पटवारी और ग्राम सेवक जाकर उनको सता न सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, कहना तो मुझ बहुत था लेकिन चूंकि समय नहीं हैं इसलिये इतना कह कर मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री ना० नि० पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा इस सदन में हमारे श्री नायक ने बतलाया कि यह रिपोर्ट जो है वह रिपोर्ट नहीं है बल्कि एक गीता है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हमारे हिन्दू शास्त्र के अन्दर जितना गीता का महात्म्य है उसी प्रकार से यह रिपोर्ट हमारे आदिवासियों के लिये गीता का रूप है। कोई भी हिन्दू सुबह उठ कर गीता का सब से पहले स्मरण करता है लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज इस रिपोर्ट को, हमारी गीता को, छपे हुए दो साल हो गये लेकिन अभी भी इसके ऊपर बहस नहीं होती है। इसके अन्दर जो अध्याय दिये हुये हैं उनका इम्प्लिमेंटेशन कब होगा, यह मेरी समझ में नहीं आता है। इस गीता के अन्दर म आदिवासियों के सुधार के लिये जो अध्याय लिखे गये हैं वह बड़े अच्छे हैं लेकिन उनके अलावा कुछ बातें इसके अन्दर आने से रह गई हैं, उनको मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं।

इस रिपोर्ट के अन्दर सब प्रदेशों के बारे में तो दिया हुआ है लेकिन एक प्रदेश के बारे में जिसके तीन तरफ हमारा गजरात है, जिसमें पोर्चगीज शासन था और जिसको दादरा और नगर हवली कहते हैं, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। जिस वक्त यह रिपोर्ट छप रही थी उस वक्त तक वह मुक्त नहीं हुआ था, वह सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ नहीं था, इसलिये उसका नाम इस रिपोट में नहीं आया। इस एरिया की पापुलेशन का ८० टका से ज्यादा आदिवासियों का है। दादरा और नगर हवली जो है उसके तीन तरफ मेरी कांस्टिट्युएंसी लगी हुई है। धर्मपुर तालुका, बाडी तालुका और उमर गांव तालका, यहां की पापुलेशन भी ६० टका से ज्यादा आदिवासियों की है। दादरा और नगर हवली में पहले से पोर्चगीज शासन होने की वजह से वहां अभी तक प्रोहिबिशन नहीं हुआ है। इसकी वजह से हालात यह हो गई है कि दादरा और नगर हवली के जो आदिवासी हैं वह तबाह हो गये हैं और और भी हो रहे हैं। जो मेरी कांस्टिटुएंसी है जो कि गुजरात स्टेट में है, वहां पर प्रोहिबिशन है इसलिये वहां के जो आदिवासी लोग हैं वह दादरा और नगर हवेली में जाते हैं और पैसा खर्च करके दारू और ताड़ी पीकर सत्यानाश को प्राप्त हो रहे हैं। मेरा सुझाव यह है कि जल्दी से जल्दी दादरा और नगर हवली में भी प्रोहिबिशन होना चाहिये क्योंकि आप सारे देश में प्रोहिबिशन करना चाहते हैं। ऐसा न होने के कारण वहां के

Tribes Commission

[श्री ना० नि० पटेल]

लोगों की स्थिति बड़ी खराब हो रही है और उसको, सुधरना चाहिये । जैसा मैंने बतलाया आपको यह बात हमारी इस गीता में नहीं है और इसकी ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

दूसरी बात हमारे गुजरात सम्बन्धी चेप्टर ३३ में लिखी है कि :

"This State has been particularly unfortunate in respect of irrigation facilities."

यह बिल्कुल सही बात है । जो मेरी कांस्टिटुएंसी है वहां पर ईरिगेशन की योजनायें तो चल रही हैं लेकिन खास कर डांग, वांसरा, बार्डी और धमपुर विभाग में माइनर ईरिगेशन की शक्ल नहीं है । वहां पर कुएं भी नहीं हो सकते क्योंकि वह हिस्सा हिल्ली है, राकी है । लेकिन अगर सरकार चाहे तो वहां पर माइनर ईरिगेशन का इन्तजाम हो सकता है । वहां पर छोटी-छोटी नदियां हैं, अगर उस विभाग में छोटे-छोटे बांध बना दिये जाय और उनके अन्दर छोटे-छोटे माइनर ईरिगेशन प्रोजेक्ट्स चलाई जाये तो हमारा काम ठीक से चल सकता है । वहां पर जमीन बहुत है मगर पानी की सुविधा नहीं है । इसकी वजह से वहां पर खेती अच्छी नहीं हो सकती । इसके ऊपर भी मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं । हमारी इस गीता में सूरत डिस्ट्रिक्ट में दुबला, वारली और भील लोगों का तो उल्लेख है लेकिन धोड़िया लोगों का जो कि सूरत में बड़ी संख्या में हैं कोई उल्लेख नहीं है । इसकी ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

अभी मुझसे पहले एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि इन लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में रिजरवेशन है । यह अच्छी नीति है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए नौकरियों में रिजरवेशन है । लेकिन जब पोस्ट भरने का वक्त आता है तो कहते हैं कि सूटेबिल कडीडेट नहीं मिलते हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि सूटेबिल किसको कहा जाता है । यह मैं कबूल करता हूं कि आदिवासी और हरिजन बिचारे जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले हैं इसलिये वह देखने में अच्छे नहीं होते—नाट नाइस लकिंग— । अगर इस वजह से उनको नौकरी में नहीं लिया जाता तो यह मेरी समझ में नहीं आता । और जिनको ले लिया है, जैसे रेलव में, पोस्ट आफिस में और ब्लाक्स में, उनको प्रोमोशन नहीं मिलता । इस प्रकार आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है । मैं तो कहता हूं कि जो सैंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट हों उन के लिए एक नान आफिशियल्स का एक कमीशन होना चाहिये और अगर इस प्रकार की शिकायत पार्लियामेंट के मेम्बरों के पास आये कि किसी सूटेबिल कैंडीडेंट को इन जगहों पर नहीं लिया गया है तो वह कमीशन उसकी सुनवाई करे । इस बारे में कोई व्यवस्था होनी चाहिये ।

अभी एक माननीय सदस्य ने बताया कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये अलग-अलग कमिश्नर होने चाहिएं तब उनका काम अच्छी तरह से हो सकेगा । हमारे दयाभाई जी ने भी, जिन्होंने हजारों मील की यात्रा करके इस गीता को बनाया है, कहा है कि इसका इम्पलीमेंटशन ठीक नहीं हो रहा है । शास्त्री जी ने भी यही बतलाया है । जो हमारे लिए स्कीमें हैं अगर उनको इम्पलीमेंट करना है तो जितने ब्लाक हैं उनके अन्दर बहुत करके शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अफसर आपको रखने चाहिए और उनको पूरी ट्रेनिंग देनी चाहिए । जैसा मैंने कहा, सरकार की नीति हरिजनों और आदिवासियों के लिए अच्छी है, लेकिन जो अफसर हैं वे उनको आगे नहीं आने देना चाहते । इस काम को वही कर सकता है जो कि

इन लोगों के दु:ख को जानता है । इसलिए मेरा सुझाव है कि हम जो ब्लाक बनाने जा रहे हैं उनमें चीफ आफिसर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अफसर रखे जाने चाहिये जिससे योजनाओं का इम्पलिमेंटेशन ठीक हो, पैसे का खर्च ठीक से हो और योजना कामयाब हो ।

इसमें शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हाउसिंग सोसाइटी के बारे में लिखा है । लेकिन मुझे अपनी स्टेट का अनुभव है कि इन लोगों की कोई दाद फरियाद सुनने वाला नहीं है । हम लोगों ने इंटरवीन किया, कारसपांडेंस की और जहां-जहां जाना था उन लोगों के साथ गए और कोशिश की मगर छ:-छ:, सात-सात साल हो गये आदिवासियों की हाउसिंग सोसाइटी के लिए जमीन एक्वायर नहीं हो पा रही है । और उन लोगों से ऊपर से कहा जाता है कि तुम एम० पीज० और एम० एल० एज० के पास क्यों जाते हो : क्या यह कोई इन्साफ है । जिस केन्द्रीय सरकार के हाथ में यह सारा कारोबार है, अगर वह पूरी कोशिश से इस उद्देश्य से इंपली-मेंट नहीं करेगी तो मेरा ख्याल हैं और मुझे भय है कि जो हमारी यह गीता है इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा और जो हमारे माननीय ढेबर जी ने और इस कमीशन के अन्य सदस्यगण ने जो प्रवास किया, खर्चा किया और मेहनत की वह सब बेकार जायेगी ।

श्रीमती जमुना देवी (झाबुआ) : आदरणीय उपाध्यक्ष जी, आज ढेबर कमीशन की रिपोर्ट सदन के सामने पेश है और उस पर चर्चा चल रही है । मैं इसके अध्यक्ष को और सदस्यों को धन्यवाद देती हूं, कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके और सारे देश में घूम-घूम कर इस किताब को लिखा है और इसमें हमारी सारी समस्याओं को रखा है, और इस प्रकार इसको एक गीता का रूप दे दिया है ।

आदिवासियों की समस्याओं को मुलझाने के लिए ऐसी रिपोर्ट पहले भी आ चुकी हैं । हर प्रान्त में एडवाइजरी बोर्ड बने हुए हैं, वे भी इन आदिवासियों की समस्याओं पर विचार करते हैं । यहां पार्लियामेंट में हम उसको एक बड़ा रूप दे सकते हैं क्योंकि यहां पर होम मिनिस्टर महोदय हैं और यहां पर सारे प्रान्तों की समस्याओं की चर्चा हो सकती है । हमारे राष्ट्रपति जी हैं, प्रान्तों में बड़े-बड़े गवर्नर बैठे हैं । और भी बहुत से त्यागी तपस्वी लोग बराबर आदिवासियों की स्थिति को सुधारने का प्रयत्न चलाते रहते हैं । लेकिन इतने बड़े लोगों का हाथ इनके सिर पर होने के बावजूद इन लोगों का सुधार नहीं हो पा रहा इसका क्या कारण है ? कहां पर गलती है, इसको आज तक भी सरकार नहीं समझ पायी है । सरकार यह नहीं समझ पायी है कि इन आदिवासियों को किस ढंग से सुधारा जाए और कैसे उनकी स्थिति संभले ।

सरकार ने यह मान लिया है कि हम इन का सुधार और उद्धार शासकीय मैशिनरी के द्वारा ही कर सकते हैं । यही मुझे अब तक देखने में आया है । जितने भी आदिवासी अब तक सुधरे हैं और जो यहां चुन कर आए हैं वे गैर-शासकीय संस्थाओं के द्वारा सुधरे हैं और उनको जो सहूलियतें दी गयी हैं उनको समझते हैं । लेकिन जो काम शासकीय मैशिनरी द्वारा हो रहा है उससे तो इस कौम का विकास नहीं हो सकता ।

शासन ने बहुत सी स्कीमें बना कर आदिवासियों के लिए दी हैं लेकिन उनका बराबर पालन नहीं होता और जो उनका पालन करने वाले बड़े-ड़े अ कारी, रेक्टर, कमिश्नर और दूसरे स्टाफ के लोग बैठे हैं, वे नहीं चाहते कि ये आदिवासी लोग उनके बराबर के स्तर पर आ जायें ।

एक माननीय सदस्य : यह बात गलत है ।

श्रीमती जमुना देवी : आप ध्यान से सुन लीजिए । बैठे रहिए ।

[श्रीमती जमुना देवी]

तो यह दृष्टिकोण है। यदि यह दृष्टिकोण न होता तो ये लोग आठ वर्षों से इस प्रकार पिछड़े न पड़े रहते और समाज में और लोगों के बराबर आ सकते थे। लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ है। और मैं मंत्राणी जी से आशा करती हूं और मैं खास कर कहना चाहती हूं कि अगर आपको इन गरीबों के प्रति हमदर्दी है और आप उनके लिए कुछ करना चाहती हैं तो उन लोगों को जिन लोगों ने आपकी योजनाओं की अवहेलना की है तत्काल दंड दिया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हो सके तो उनको डिपार्टमेंट से निकाल देना चाहिए। जब तक आप ऐसा ऐक्शन नहीं लेंगी आदिवासी अपनी जगहों पर ही रहेंगे। न उनको महल चाहिए, न उनको धन चाहिए और न और कुछ। आप जो उनको द उसमें उनको संतोष है। लेकिन यह देखना चाहिए अगर उनका सुधार करना है तो उनके प्रति दृष्टिकोण बदला जाए। मेरा यह सुझाव है कि ज्यादा से ज्यादा सोशल वर्कर्स को उन क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाये। अशासकीय संस्थाएं जैसे गांधी आश्रम आदि सामाजिक सुधार कार्य करने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाय। खेद का विषय है कि इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसा करने से ही वांछित सुधार जल्द से जल्द हो सकेगा।

आदिवासियों के कल्याण और भलाई की यह जो योजना है यह ठीक उस ढंग से है जैसे कि एक लोमड़ी के लिए उसकी पहुंच से बाहर लटकता हुआ अंगूर का गुच्छा। योजना आप जरूर बनाते हैं और हमको मीठी मीठी बातें सुना कर और भाषण देकर समझा लेते हैं लेकिन जिस तरह से वह लोमड़ी उन अंगूरों को नहीं पा सकती है और उसे यह कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि अंगूर खट्टे हैं ठीक वही हालत हम आदिवासियों की है। योजना बनती अवश्य है लेकिन वह खाली कागजों तक ही सीमित रह जाती है। उसका लाभ आदिवासियों को प्राप्त नहीं हो पाता है। लड़कियों की शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं है। स्वयं ढेबर कमिशन की रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है। मध्य प्रदेश की हालत इतनी खराब है कि वहां के आदिवासियों के जो मंत्री हैं वह बिल्कुल फेलयोर साबित हुए हैं। हो सकता है कि उन्होंने अपने ऐरिया में काम किया हो। आज एक ऐसा समय आया जब कुछ सामाजिक कार्यकर्त्ता आदिवासियों की दशा सुधारने की कोशिश कर रहे हैं तब यह इमरजेंसी आ गई है। अब यह आदिवासियों के दुर्भाग्य के सिवाय और क्या है?

गरीबी देश की बहुत बड़ी समस्या है। देश पर आज जो संकट छाया हुआ है और हमारी सुरक्षा को जो चनौती दी गई है उसका सफलतापूर्वक सामना करने के लिये और देश के लिये लड़ने के लिये आदिवासी तन मन धन से सहयोग देने को तैयार हैं, जो भी आवश्यक था सब कुछ उन्होंने किया और आज भी अपने देश की रक्षा की खातिर लड़ने के लिये तैयार हैं। लेकिन खेद का विषय है कि इस इमरजेंसी को लेकर जो सबसे ज्यादा कटौती हुई है वह आदिवासियों की स्कीमों में हुई है। क्या उन्हीं के लिये यह इमरजेंसी आई है? यह ठीक है कि आपने इन लोगों के लिये बड़ी मुश्किल से कुछ इधर, कोआपरेटिव डिपार्टमेंट जैसा एक आदिवासी डिपार्टमेंट बना रखा है। हालत यह है कि सड़क का काम दूसरा डिपार्टमेंट करेगा, कुंए का काम दूसरा डिपार्टमेंट करेगा। स्कूल का काम दूसरा डिपार्टमेंट करेगा। यह आदिवासी डिपार्टमेंट बिलकुल एक भिखमंगा डिपार्टमेंट सा बना रखा है जिसको कि हर एक चीज़ के लिये अन्य डिपार्टमेंट पर आश्रित रहना पड़ता है। अब जब तक वह लोग उस कार्य को जल्दी न करें तब तक हमारे आदिवासी विभाग से कुछ होता नहीं है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि जो कुछ भी काम करना हो उसको आप एक ही ढंग से करिये अन्यथा आप

साफ साफ कह दीजिए कि इन आदिवासीयों के लिये कुछ नहीं होगा। हम भीख नहीं मांगते आप से। आप जो कुछ पैसा हमारे ऊपर खर्च कर रहे हैं तो हमारे ऊपर आप कोई अहसान नहीं कर रहे हैं। हम कुछ नहीं चाहते लेकिन यह अवश्य चाहेंगे कि आज जो प्रशासकीय मशीनरी द्वारा हम लोगों का शोषण हो रहा है वह बंद हो। एक्साइज डिपार्टमेंट को देख लीजिये, फोरेस्ट डिपार्टमेंट को देख लीजिये और पंचायत व कोआपरेटिव डिपार्टमेंट को देख लीजिये, इन बेचारे गरीब आदिवासियों का पिछले कितने ही वर्षों से शोषण होता चला आ रहा है। उन पर जर्माने करके आज उनको भिखमंगा और बे रोजगार बना दिया है। हमारे आदिवासियों ने पहले कभी भी भीख नहीं मांगी थी लेकिन आज वह भीख मांगने लगे हैं। आज यह हालत हमारी आप ने बना दी है। हम आप से भीख नहीं मांगते अलबत्ता हमें इन अधिकारी लोगों के शोषण से बचा लीजिये। भले ही आप हमारे ऊपर रूपया मत खर्च करिये। दूसरे लोग सोचते हैं कि आदिवासियों को शिक्षा की सहूलियत है, खाने कपड़े व आवास की सहूलियत है। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि हमें कोई विशेष कपड़ा नहीं चाहिये। हमारे लोग एक सा कपड़ा पहनते हैं। एक से क्षेत्र में रहते हैं। हमें कुछ विशेष नहीं चाहिये लेकिन यह जो एक नाटक बन रहा है वह उनके जीवन को दुखदायी बना रहा है और यह समाज के दूसरे लोगों की निगाह में उन को गिरा रहा है। उनको इस गिरावट से बचाइए। अलबत्ता कुछ करना हो तो करिये। हम लोग कुछ विशेष नहीं मांगते हैं। जरूरत इस बात की है कि विभागीय कर्मचारी हमदर्दी का भाव रख कर यह कार्य करें।

उदाहरण के लिये मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि इस हमदर्दी के अभाव में सामूहिक बस्ती की व्यवस्था मध्य प्रदेश में बिलकुल फेलयोर साबित हुई है। सामूहिक बस्ती का नाटक मध्य प्रदेश में रचा गया कि जहां पानी नहीं है वहां साम् हिक बस्ती बसाई। अफसरों की कमेटियां बनीं जिनमें बड़े बड़े अफसर जिले के हैं लेकिन वे उस समस्या को सुलझा नहीं सके और उस को बसा ही नहीं सके। इन अफसरों ने कहा कि आध सेर आटा दिन भर के लिये मिलेगा। यह जमीन है। हम तुम्हें बैल खरीद देंगे। इस पर तुम खेती करो। लेकिन मैंने देखा कि वह उसमें फेलयोर साबित हुए और उसको बसा ही नहीं सके।

एक जगह गारियाकुई तहसील मनावर में जहां कि सामूहिक बस्ती बननी थी हम खुद देखने गए कि सामूहिक बस्ती कैसी बनी है। गवर्नमेंट के अफसरान ने बसाई है लेकिन वह बस नहीं सकी है। अगर इसके बदले दस आदिवासीयों को इकट्ठा करके कह देते कि यह देखो यह रुपया है इसमें यह यह काम आपको करने हैं यह स्कीम शायद सफल भी हो सकती थी। लेकिन जितना नपा तुला आपने दिया उतना काम नहीं हुआ। इतने अफसरान उस कमेटी के होते हुए भी वह सामूहिक बस्ती नहीं बन सकी। उसमें अकलमंद लोग थे पढ़े लिख लोग थे। जिले के कलक्टर और डिप्टी कलक्टर्स उसमें थे लेकिन वह स्कीम फेल हुई। फिर जब यह नहीं कर पाते हैं तो कह देते हैं कि इन क्षेत्रों में काम करना बड़ा मुश्किल है और उन को सुधारना बहुत मश्किल है लेकिन आज जिस तरीके से थोड़ी सी एक मदद मिलने से हमारी समाज ने जो तरक्की की है वह हम भूल नहीं सकते हैं। बेशक हम सुधरे हैं लेकिन जो सहयोग मिलना चाहिये वह नहीं मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन आदिवासियों की समस्यायें वर्षों से चली आ रही हैं। राजाओं के टाइम से, अंग्रजों के टाइम से और कांग्रेस सरकार ने जब से शासन की बागडोर सम्भाली है, उन लोग हों को एक तरह से ललकारा है। वह दबे हुए जंगलों में अंगारे जिन पर राख जमी हुई थी उन की राख को हमारे शासन ने फूंका है। मैं यह नहीं चाहती कि यह

[श्रीमती जमुन देवी]

शासन ग्रादिवासियों को ग्राज की तरह ग्राधी फांसी पर लटका कर छोड़ दे क्योंकि उस हालत में पता नहीं कैसी परिस्थिति का मकाबिला उसे करना पड़ सकता है। इसलिये उस कौम का मजाक मत उड़ाइये ग्रौर बिना देरी किये जो ग्रावश्यक हो काम कर दीजिये वरना वह जो कर बीतें वह थोड़ा होगा।

इसी तरह सहकारिता की ग्रोर ग्राप देखिये। सहकारिता के ग्राधार पर ग्रादिवासियों को कुछ धंधा व रोजगार मिलना चाहिये ग्रौर उनकी बेरोजगारी ग्रौर गरीबी मिटनी चाहिये लेकिन यह ग्रफसरान लोग जब तक उनको रिश्वत नहीं मिलती है, उन सहकारी सोसाइटियों को ग्रनदान नहीं मिलता है ग्रौर ग्रगर यह नहीं हो पाता है तो उन सोसाइटियों का रिस्पैक्ट गिरता है।

मैं इस सम्बंध में एक उदाहरण देना चाहती हूं। शायद वैसा ग्रौर जगह भी होता होगा। जिस ग़लत ढंग से सहकारिता पर ग्रमल प्रशासकीय मशीनरी द्वारा किया जा रहा है ग्रौर ग्रपने ग्रधिकारियों का ग़लत दुरुपयोग किया जा रहा है उस का जनमानस पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। विरोधी पार्टियां प्रचार करती फिरती हैं कि देखो यह सरकार कैसे सहकारिता पर ग्रमल करा रही है। उन भोलेभाले ग्रादमियों के दिमाग़ में ग़लत बात ग्राती है ग्रौर परिणाम यह होता है कि सहकारिता ग्रांदोलन जिसे कि हम सफल करना चाहते हैं वह सफल नहीं हो पाता है। हमें इस तरह की प्रशासन की ग़लत मनोवृति को बदलना होगा।

दूसरी चीज यह है कि ग्रादिवासी क्षेत्रों में कोई उद्योग धंधा नहीं है। वहां हमें नये उद्योग धंधे उनके लिए खोलने चाहिएं। उन का जीवन निर्वाह, उस खेती पर ग्रौर उन जगंलों की लकड़ियों पर ग्रौर बन उपज पर ग्राश्रित रहता है। उस से उन का पेट भर नहीं पाता है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ग्रभी एक नया ग्रार्डर निकाला है कि एक भी इंच जमीन फोरेस्टर की खेड़ी न जा सके ग्रौर जिस किसी ने ग्रगर खेड़ी है तो उस के ऊपर २००, २०० ग्रौर २५०, २५० रुपये का जर्माना कर दिय गया है। उन पर लाख रुपया खर्च किया ग्रौर इस ढंग से उन से ले लिया जाता है। मैं मंत्राणी महोदया से निवेदन करूंगी कि वे जल्द से जल्द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को, रेवेन्यू मिनिस्टर ग्रौर बन मिनिस्टर को कहें कि वे जल्दी से जल्दी ऐसा ग्रादेश दें कि ताकि जितनी भी ज़मीन फौरेस्ट एरिया में हो ग्रौर खेती के क़ाबिल हो वह उन ग्रादिवासियों को दे दी जाये। ग्रगर वे यह नहीं करेंगे तो लाखों लोगों के वहां भीख मांगने की नौबत ग्राने वाली है। उन लोगों के पास कोई धंधा नहीं है। मैं ढेबर कमिशन की रिपोर्ट का समर्थन करती हूं लेकिन मैं यह ज़रूर कहना चाहूंगी कि ऐसा न हो कि उस में से ग्राधी बातें ले ली जायें ग्रौर ग्राधी न ली जायें। उस की पूरी सिफ़ारिशों को माना जाये ग्रौर सही ढंग से जल्द से जल्द कार्यवाही की जाये। मुझे ग्राशा है कि यह सरकार ग्रादिवासियों के प्रति सजग रहेगी ग्रौर उन की उन्नति हो सकेगी।

श्री प्रिय गुप्त (कटिहार): उपाध्यक्ष महोदय, मैं शैड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर शैड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में ढेबर कमिशन की जो रिपोर्ट है उस के बारे में कुछ कहने के पहले एक दो बातें कहना चाहता हूं।

ग्राज से २०, ३० साल पहले हम लोग स्कूलों में इस बारे में सुना करते थे। उस समय फ़ीमेल एजुकेशन के सब्जैक्टस पर डिबेट हुग्रा करता था। उस पर हम लोग बहस किया करते थे कि उन के लिए क्या होना चाहिए, उन को शिक्षा देनी चाहिये या नहीं देनी चाहिये। फ़ीमेल एजुकेशन होनी चाहिये या नहीं होनी चाहिए। लेकिन ग्राज तो उस का सवाल ही नहीं रह गया है।

Even the ladies are working in different establishments.

लड़कियां काफ़ी तादाद में विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां कर रही हैं।

15 hrs.

एक बात और कहना चाहूंगा। गांधी जी के लिए हम सुनते थे कि किसी गांव में पधारेंगे तो उस वक्त होता यह था कि किसी चमार या मेहतर को स्नान करा कर, उस को नये कपड़े पहना कर, अब उस वक्त इतनी सारी पार्टियों तो थीं नहीं, कांग्रेस ही होती थी तो कांग्रेस पार्टी के जितने नेता लोग होते थे वे लोग सब एक वेदी में बैठ कर उस से परसादी ले कर खाते थे और सब बांट कर परसादी यह दिखलाने के लिए खाते थे कि अस्पृश्यता हमारे वहां से चली गई है मगर दरअसल वह छूआछूत और अस्पृश्यता नहीं गई। ये दो बातें हम को याद हैं। यह ५६४ पन्ने की जो रिपोर्ट छपी है, अगर इस का दसवां हिस्सा भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाये, लागू कर दिया जाये, तो फिर हम अनुभव करेंगे कि हिन्दुस्तान के सब से ऊंचे तबके के प्रतिष्ठान अर्थात इस सदन में, हमारा इस विषय पर बहस करना ठीक है।

हिन्दुस्तान के लोग आज तक यह सोचते हैं कि हम लोग इन लोगों को 'पैट्रनाइज' कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम लोगों को यह सोचना है कि इन लोगों का हम पर ऋण है, जिस को हम चुका रहे हैं, यानी हम लोगों ने इतने साल तक इन की उन्नति का ध्यान न कर के जो गलतियां की हैं, हम उन की पूर्ति कर रहे हैं, उस ऋण का प्रतिशोध करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह फ़ीलिंग हमारे दिलों में होनी चाहिए।

हम लोगों ने देखा है कि ब्रिटिश टाइम में ट्राइबल एरियाज में, पासीघाट में, आसाम में, अबर हिल्ज में, जो स्काच या इंगलिश आफ़िसर्ज पोलीटिकल आफ़िसर्ज के रूप में नियुक्त किये जाते थे, वे वहां ट्राइबल्ज़ की तरह ही बाल रखते थे, उन लोगों की तरह ही कपड़े पहनते थे और उन लोगों की तरह ही रहन सहन की आदतें डालते थे।

15.02 hrs.

[DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

ऐसा इस लिए किया जाता था कि वे ट्राइवल्ज़ उन आफ़िसर्ज़ को हर प्रकार से अपने ही आदमी महसूस करें और इसलिए उनके साथ खुल कर बात कर सकें। इस के मुकाबले में हम देखते हैं कि आजकल जो आई० ए० एस० या प्राविंशल सर्विस के लोग उन एरियाज़ में जाते हैं, वे सूट, बूट, और टाई पहन कर वहां घूमते हैं। वे ट्राइबल लोगों के बीच में जाते भी नहीं हैं। शाम को वे अपनी बीबियों के साथ मोटर में चक्कर लगाते हैं और इस प्रकार अपने काम के बारे में ख़ानापुरी करते हैं। इस प्रकार के एटीट्यूड में परिवर्तन होना चाहिए।

हमने अपने संविधान में यह व्यवस्था की है कि सब लोगों को "सोशल, इकानोमिक एडूकेशनल और पोलीटिकल इक्वैलिटी" दी जायगी। यह कब होगा? ट्राइवल्ज़ की एजूकेशन के बारे में कमीशन ने बहुत सुन्दर रीकमेंडेशनज़ दी हैं, लेकिन, जसा कि माननीय सदस्यों ने बताया है, आठ, नौ, दस महीनों के बाद ट्राइबल स्टूडेंटस को एजूकेशन एड का पैसा दिया जाता है। इस स्थिति में किताबें आदि न ख़रीद सकने के कारण उन को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। स्कूलों का प्रबंध किया गया है, लेकिन चूंकि होस्टलज़ का प्रबंध नहीं किया गया है इसलिये वे बेचारे कहां रह कर पढ़ेंगे।

ट्राइबल लोगों की इकानामिक प्राबलम्ज़ को हल करने के लिए बहुत से चैप्टर दिये गये हैं। एग्रीकल्चर और इनडेटिडनैस के बारे में भी सुझाव दिये गये हैं। जहां तक आर्टिकल २७५ के अन्तर्गत ग्रान्ट्स इन एड देने का प्रश्न है, आन्ध्र प्रदेश के सिवाये और किसी प्रदेश ने इसे लागू नहीं किया है।

[श्री प्रिय गुप्त]

मैं बताना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में मध्य प्रदेश, श्रासाम, बिहार, वैस्ट बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान श्रादि प्रान्तों में श्रादिवासियों की बैल्ट है। श्राप देखिये कि वहां पर जैसे भगवान की छिपी हुई सम्पत्ति, मिनरल्ज़, ज़मीन के नीचे श्रौर जंगल के झाड़ के नीचे छिपी हुई पड़ी है, उसी तरह से श्रादिवासियों में सब रत्न, हीरे श्रौर जवाहर तड़प तड़प कर रो रहे हैं कि हमारा प्रयोग नहीं किया जाता है। हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब वह उन मिनरल्ज़ को ढूंढने के लिए विदेशों से लाख लाख रुपये की ड्रिलिंग मशीन्ज़ लाती है, तब उसने यह देखने के लिए कि दरश्रस्ल इन लोगों की उन्नति के लिए क्या काम करने चाहिए, क्या मशीनरी बनाई है। मैं उस को कहना चाहता हूं कि इस बारे में किये जाने वाले खर्च को फ़िज़ूल ख़र्च नहीं समझना चाहिए।

श्रादिवासियों में दो श्रेणियां हैं, जिनमें से एक हैं लैंडलेस लैबरर्ज़। हम देखते हैं कि हमारे बिहार में व लोग साल में तीन महीने मिट्टी खोद खोद कर जड़ी बूटियां खाते हैं। हमारे प्लानिंग मिनिस्टर साहब ने बताया कि हमारी नैशनल इनकम श्रौर एवरेज इनकम क्या है। एवरेज इनकम तो बहुत सुन्दर है, लेकिन मुझे इस बारे में एक किस्सा याद श्राता है। एक किसान के चार लड़के थे। उसकी श्रौरत सुबह उठ कर उनके लिए चार रोटियां बना कर रख देती थी श्रौर खेत में चली जाती थी। उन चारों बच्चों में से जो दो बदमाश थे, उन्होंने छीन-छान कर दो दो रोटियां खा लीं श्रौर इस प्रकार दो लड़के भूख रहे। मां का हिसाब यह रहा कि चार बच्चे श्रौर चार रोटियां, इसलिए एक बच्चे के लिए एक रोटी, हालांकि दो बच्च तो दो दो रोटियां खा गये श्रौर दो भूख रहे। यही स्थिति हमारी एवरेज इनकम की है, जो कि माननीय मंत्री, श्री नन्दा, ने बताई है। यदि इस सदन के कोई माननीय सदस्य चाहें तो वे जाकर देख सकते हैं कि श्रादिवासी साल में तीन महीने भूखे रहते हैं श्रौर मिट्टी में से जड़ी-बूटियां खोद-खोद कर खाते हैं।

जहां तक शिफ्टिंग कल्टीवेशन के इन्तजाम का प्रश्न है, सरकार को कल्टीवशन के इन्तजाम को भी देखना चाहिए। सरकार की तरफ से फूड प्राडक्शन को बढ़ाने के बारे में चिल्लाया जाता है, लेकिन ट्राइबल्ज़ को, जो कि फ़ारेस्ट में रहते हैं, खती के बारे में कोई सहूलियत सरकार की तरफ से नहीं मिलती है।

जहां तक ढेबर कमीशन्ज़ की रीकमेंडशन्ज़ का सम्बन्ध है, वे बहुत सही हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इनको उचित महत्व दे कर पिछले सैशन में ही इन पर बहस को खत्म करना चाहिए था। हमको श्रनुभव करना चाहिए कि यह इमरजेंसी की तरह ही का इम्पार्टेंट काम है। श्रब सोमवार से कमिश्नर की रिपोर्ट पर भी विचार होगा। श्रगर हमारा कोई श्रंग सड़ जाता है, तो दूसरा श्रंग भी एफ़क्टिड होता है। इसलिए इस कमीशन की रिपोर्ट पर डिस्कशन पिछले सैशन में ही समाप्त कर देनी चाहिए थी। हम कहना चाहते हैं कि प्लानिंग कमीशन की तरफ से इस बारे में जो रुपया ख़र्च किया जाता है, उसमें ट्राइबल पापुलेशन के लिए कुछ श्रलग इन्तजाम किया जाये।

श्रादिवासियों की शिक्षा के बारे में कहा गया है कि उनके प्राइमरी स्कूलों में एसी व्यवस्था की जाये कि उनके बच्चे मदर टंग सीख सकें श्रौर इसके साथ ही रीजनल लैंग्वज़ को भी सीख सकें। इस पार्लियामेंट में बहुत से श्रादिवासी सदस्य बेचारे श्रनपढ़ हैं। सन्थाली या श्रपनी किसी भाषा में उनको बोलने का श्रवकाश नहीं मिलता है। जब वे पांच साल के लिये यहां पर चुन कर श्राते हैं, तो उनके लिये किसी दूसरी भाषा को सीख कर उसमें बोलना कैसे सम्भव हो सकता है? यह श्रड़ंगा नहीं रहना चाहिए। हम

समझते हैं कि उन लोगों के बारे में सही तौर से जांच पड़ताल हो ।

इंडस्ट्रियल एरिया में हमारी जो मां-बहिनें काम करती हैं, उनके लिये काफ़ी अच्छे ढंग का इन्तजाम होना चाहिए । उनके बच्चों को रखने के लिए नर्सिज़ का प्रबन्ध हो और रैस्ट हाउसेज का प्रबन्ध हो । जिन गांवों में आदिवासी रहते हैं, उनमें ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी, की कोई सुविधा नहीं है । उनके रहने के लिए कोई मकान नहीं है । जो लोग जंगल में रहते हैं, उनके मार्ग में फ़ारेस्ट आफ़िसर हजारों किस्म का अड़ंगा लगाते हैं । लकड़ी का एक टुकड़ा लेने पर फारेस्ट के रेंजर या चपरासी लोग उनको धमकाते हैं, पैसा लेते हैं । वे बचारे जलाने के लिए लकड़ी कहां से पायें ? जो लोग कालियरीज के पास काम करते हैं, उन के लोगों के लिए कोयले का, फ्युअल का, कोई इन्तजाम नहीं है ।

जहां तक शिड्यूल्ड एरियाज का सम्बन्ध है, हम पूछना चाहते हैं कि जो शिड्यूल्ड एरियाज़ बनाये गये हैं, वे आदिवासियों के हित में और उनकी उन्नति के लिये सही ढंग से बनाये गये हैं, या चुनाव में अपने कैंडीडेट को सफल बनाने के लिए बनाये गये हैं ।

हमारे स्वैल साहब ने अपने भाषण में बताया है कि उन लोगों में जो नेशनल अप-सर्ज आदि हुआ है, वह हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में होने से बहुत पहले हुआ है । इन लोगों की समस्याओं पर अब अच्छी तरह से ध्यान दें । When India was under British subjugation, they made all attempts to explore hill tribal areas. They established educational institutions and cultural institutions. They understood the pulse of the people. They respected the tribal, they tried to improve those areas. सरकार को भी चाहिये कि ट्राइबल एरियाज की जिस प्रकार से भी उन्नति हो सकती हो उस प्रकार से उन्नति करे । ट्राइबल लोगों में जो लेबरर्ज हैं या जो अनस्किल्ड लोग हैं या स्किल्ड लोग भी हैं, या दूसरे हैं, उन सब की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये ।

आज देखा जाता है कि जहां कहीं मजदूर आन्दोलन होता है, तो उसके जो दो चार नेता होते हैं, उनको एम्पलायर लोग पकड़ कर के ऊंची नौकरियों पर लगा देते हैं और उनको सतुष्ट कर देते हैं और इस तरह से उन लेबर लीडर्ज को चुप करा दिया जाता है बाकी लेबरर्ज़ भी तब चुप हो जायें । इसी तरह से ट्राइबल्ज़ में से दो चार आदमियों को ऊंची पोस्ट पर बिठा दिया जाता है, एक आध को आई० ए० एस० में ले लिया जाता है या पी० सी० एस० में ले लिया जाता है या प्रोफेसर बना दिया जाता है, या एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ पद दे दिया जाता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सभी ट्राइबल्ज़ ऊंचे उठ गए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई है । इस तरह की बातों को लेकर प्रचार करना और पैम्फलेट छाप देना अच्छी बात नहीं है । दिस इज़ नो जस्टिस टू दी एंटायर ट्राइबल कम्युनिटी । इस तरह से आप इस कम्युनिटी के साथ इंसाफ नहीं करते हैं । बुनियादी तौर पर आप इस कम्यूनिटी के लिये क्या कर रहे हैं, इसको आपको देखना चाहिये । इनकी सभी ओर से उन्नति होनी चाहिये, इनकी सामूहिक उन्नति होनी चाहिये, इकोनोमिक, एजुकेशनल, पोलिटिकल उन्नति होनी चाहिये । ऐसा न करके दो चार आदमियों को ऊंची जगहों पर बिठा कर आप कह दें कि हम ने यह यह इनके लिये किया है, तो यह उनके प्रति अन्याय होगा । इस पर आपको गम्भीरता से विचार करना चाहिये ।

Dr. L. M. Singhvi: I thank you very much for the opportunity given to me for offering a few remarks on this report.

I shall be very brief, because I know that the ground has been covered very well and comprehensively by many of my predecessors and it is not ne-

[Dr. L. M. Singhvi.]
cessary for me to cover that ground again.

I do want, however, to mention that reservations are not the answer, not even a part of the answer, to the problem of the scheduled areas and scheduled tribes. As a matter of fact, in my humble submission, the continuation of reservation is a continuing confession of failure of the Government to deal with the problem of scheduled castes and scheduled tribes in this cuntry. I feel that in this recespect we have made precious little progress. We seem to think that we have done our duty by these so-called backward tribal communities of our country by providing for reservation, by deciding to give them continuing preferences and assistance in some measure. I think that a mamoth effort is required to be undertaken in this field because this is not only a question of human rights, but also a vital question of social reorganisation in our country.

I do not want to dilate upon the many aspects of the problems of scheduled castes and scheduled tribes in this country, but I do want to say in passing that the abolition of untouchability, which was enjoined upon as by the Constitution and for which we have proceeded also to enact legislation, has not been achieved even in a small measure. Untouchability continues unabated, and offences under the Act cannot be brought to book and the offenders cannot be punished partly because full measure of legal assistance is not available to them, and partly because of a social prejudice which afflicts all such cases. I think that in all fairness to the cause of scheduled tribes which we have always been quick to espouse at least in words, we must undertake a broad-based massive effort. That massive effort will not be undertaken unless you are able to bring together all shades of opinion among the tribal people. It is not a political question, it is not a partisan matter. Let men like Shri Swell and people from the Congress benches put their heads together and see that something is done about it, because today it is not only a very vital matter of social reorganisation as I said, but it is also a matter of border security.

I went recently to Ladakh in the company of some distinguished parliamentarians. I was very much impressed at least in one respect, namely that we know precious little about the ways of life in that part of the country. We are always so self-centred that we have little time to think about them and their problems. Unless we do that in a wider perspective, we would never achieve a solution of these problems.

What is true of Ladakh is also true of NEFA, Assam and other areas. So, in these border areas you need to bestow particular attention to the solution of their problems, which will have to start with a proper study of their problems. I do not think that there exists a full and proper appreciation today of their problems in the country. I think we are all too willing and all too quick to impose our own ideas of middle class morality on them, rather than think of their problems from their perspective. It is necessary that we begin to do that. I know that a good deal has been attempted, but as I said, the achievement is not very impressive. The attempts are a token of the goodwill which our country and the Government have in this respect, but mere goodwill is not enough. I hope that a real, earnest effort on a massive scale would be undertaken, and that the Government would be able to tell us what comprehensively they propose to do about it, what recommendations of the Dhebar Commission are being implemented, have been implemented and are proposed to be implemented, and how much further they propose to go in the matter.

I should also like to mention here briefly that the tribal cause, the cause of the scheduled castes and scheduled tribes are often being subjected to abuse by those in the Government. I do not know all the facts in these cases but I have read in the press

persistent reports of allegations made by certain Members of the Opposition, for example in Rajasthan, who say that a great deal of money given for the improvement and amelioration of the tribal people in certain areas of Rajasthan was misused and misappropriated. Indeed, a challenge was thrown by a Rajasthan legislator to the Chief Minister as well as a distinguished Member of this House that if these allegations were not true, he would be willing to resign his membership of the legislature. This has happened on a scandalous scale. A great deal of Union finance is involved. Assistance granted to these bodies, approved by this Parliament, is involved. I think the time has come when this ought to be checked. Otherwise, this will only promote a sense of cynicism among these people whose causes are espoused by dubious persons. I think something should be done effectively to check corruption and misappropriation of money granted for these purposes, and also to improve their lot in a substantial measure, in a real measure, on the basis of their own perspective, their appropriation of the problems, and not on the basis of the middle class morality prevailing in this society or that.

Mr. Chairman: Krishna Deo Tripathi. Kachhavaiya.

श्री कछवाय (देवास): शैडयूल्ड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइबज़ के कमिश्नर की रिपोर्ट के सम्बन्ध में मैं भी दो चार बातें कहना चाहता हूं ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह जो रिपोर्ट है, यह गीता के समान है । इतनी बड़ी पदवी इस पुस्तक को देना लज्जा की बात है । गीता से इसकी तुलना करना, यह कहां तक ठीक है इस पर आप विचार करें । गीता की तुलना में यह बहुत तुच्छ पुस्तक है । मैं मानता हूं कि इस पुस्तक में बहुत सी अच्छी बातें हैं । परन्तु आज देखने की बात यह है कि इन बातों पर जो आदिवासी क्षेत्र हैं, उन में कहां तक अमल हो रहा है, कहां तक आदिवासी क्षेत्रों को इससे लाभ पहुंच रहा है और इससे हमारे आदिवासी लोग, अनपढ़ लोग, जंगली लोग, गरीब लोग कितना लाभ उठा रहे हैं । मैं मंत्री महोदया जो बैठी हुई हैं उन से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार से योजनायें बनाई जाती हैं, जिस प्रकार से विचार किया जाता है, क्या उससे वाकई लाभ होता है ? आज यह बहस यहां चल रही है । कल समाचारपत्रों में बड़े बड़े हेडिंगों में यह चीज छप जायगी कि आदिवासियों के लिए यह किया गया है । आदिवासियों के लिये कानून पास किया, आदिवासियों के लिये सहूलियत दी गई, इतनी बातें मंजूर की गईं । लेकिन यह सब प्रचार की बातें हैं और प्रचार तक ही रह जाती हैं । उन लोगों तक इन का लाभ नहीं पहुंच पाता है । आज आदिवासियों के अन्दर जो ईसाई मिशनरी काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से ईसाई लोग खर्च कर रहे हैं, जिस प्रकार से ईसाई लोग अपने धर्म को बढ़ाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं उस तरह से हमारे देश में उन के लिये नहीं किया जा रहा है । जिस मात्रा में वे बाहर से पैसा ला कर उन के लिये खर्च कर रहे हैं उस तरह से हमारी सरकार खर्च नहीं करती है । जो खर्च होता है वह जो शिक्षित लोग हैं, जो उन के लीडर लोग हैं, व ही हज़म कर जाते हैं । अशिक्षित लोगों तक वह चीज नहीं पहुंच पाती है, सारी चीज़ उन बड़े लोगों तक ही रह जाती है ।

आज आदिवासियों के अन्दर हर प्रकार की कमी पाई जाती है । उन के पास खाने के वास्ते नहीं, पहनने के वास्ते नहीं, रहने के वास्ते नहीं । यदि उन को खाना नहीं मिलता है तो वे किसी प्रकार का जानवर मार कर, शिकार कर खा जाते हैं । जब कभी जानवर नहीं मिलता तो पेड़ों की पत्तियां खा कर अपना जीवन बिताते हैं । परन्तु वह क्षेत्र ऐसा है कि यदि हमारे शासन ने हमारी सरकार ने विचार किया तो उन में ऐसे अनेक

[श्री कछवाय]

लोग निकल सकते हैं जो हमारे बहुत काम आ सकते हैं । आज हमारे देश पर आपत्ति आई हुई है, शत्रु दरवाजे पर खड़ा हुआ है, तब यह एक ऐसा क्षेत्र है आदिवासियों का, जिस में से बड़े बीर और बहादुर निकल सकते हैं । आप उन्हें थोड़ा प्रोत्साहन दीजिये, उन्हें आगे बढ़ाइये, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह जाति इतनी दिलेर जाति है कि यदि हम लोग घर में बैठ जायें और उन लोगों से कहें कि तुम शत्रुओं से निपट लो, तो वे शौक से निपट लेंगे । यही नहीं, वे उन को चीन तक खदेड़ आयेंगे । लेकिन यहां पर सवाल है कि उन का उपयोग किस प्रकार से किया जाये, उन को किस प्रकार से शिक्षा दी जाये । यह सोचने की बात है । इस के सोचने में आज तक जो लापरवाही रही है उस के ऊपर हम को विचार करना है ।

उन के क्षेत्र में शिक्षा की कमी है परन्तु यदि कोई मास्टर जाता है मध्य प्रदेश के क्षेत्र में वह उत्तर प्रदेश से ला कर उन के ऊपर थोप दिया जाय, जो उन की भाषा नहीं जानता है, जो उन का रहन सहन नहीं जानता है, जो उनके खानपान नहीं जानता है तो ऐसा व्यक्ति वहां जा कर कितने दिन तक काम कर सकेगा, कितने दिन तक वह शिक्षा दे सकेगा और कितने दिन उस को व ां पर वा पानी बदलने में लगेंगे ? इस तरह का अदमी वहां फिट नहीं बैठ सकता । इस लिये उन्हीं लोगों में से आदमियों को निकाल कर यदि उन को ऐसा प्रोत्साहन दिया जाय कि वे ही उन के शिक्षक बनें, उन के समाज का सारा ढांचा जो है उस को बदल कर उनको ज्ञान का उपदेश दें, समाज का उपदेश दें, वीर वृत्ति का उपदेश दें और अनेकों जो योजनायें हैं उन के बारे में उपदेश दें, तो मारा बड़ा काम चल सकता है । परन्तु ऐसी बात होती नहीं है । इस का कारण मुझे पता नहीं क्या है । मेरी समझ में नहीं आता है कि मारी सरकार खर्च भी काफी करती है, आंकड़े बहुत लम्बे चौड़े बतलाती है, लेकिन क्यों जिस प्रकार का लाभ उन लोगों को मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता है । यदि थोड़ा अधिक खर्च किया जाये, उन में से ही शिक्षक निकाले जांय तो वे व्यक्ति, वे मास्टर लोग उन को अच्छे ढंग पर शिक्षा दे सकते हैं ।

आज उन के बीच में सब से बड़ा अभाव मिलता है अस्पतालों का । उन की चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं । वे जंगल की जड़ी बूटियों से ही अपनी चिकित्सा का काम चलाते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ईसाई मिशनरी उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वहां चिकित्सा की सहूलियतें दे रहे हैं, दवाओं का दान भी देते हैं, यदि मारी सरकार उस पर विचार करे और उसी प्रकार के कदम उठा कर चले तो हमारा बड़ा लाभ हो सकता है । आज विदेशों से पता पैसा ला कर ईसाई मिशनरी इस शासन के खिलाफ, इस देश के खिलाफ, यहां के धर्म के खिलाफ, उन को पढ़ाते हैं कि ईसा मशी सब से बड़े आदमी थे, वे सब से बड़े भगवान थे, देवता थे, उन का आदर किया जाये, उनको देवता माना जाये, उन की तस्वीर घर में रक्खी जाये, मारे थोड़े से ज्यादा खर्च से वे उस को भूल जायेंगे । मैं समझता हूं कि मारी मंत्री महोदया जो बैठी हैं वे इस पर अच्छी प्रकार से विचार करेंगी कि आदिवासियों के लिये किस प्रकार से काम किया जाये । आदिवासी लोग केवल शिक्षा चा ते हैं, अपना पेट भरने के लिये दो रोटी चाहते हैं, प नने के लिये कपड़े चाहते हैं । यही उन की मांगें हैं । अगर हम ने उन की यह मांग पूरी कर दी, तो यह एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो कि, जैसा मैं प ले क चुका हूं, मारे देश के बहुत काम आ सकता है । लेकिन उन की सर्विसिज में ला परवाही बरती जाती है । में देखने को मिला कि जितनी मात्रा में उन के व्यक्ति लिये जाने चा ये, जो कि शासन द्वारा ठहराया गया है कि इतने परसेंट सर्विस

उन को दी जायेगी, उन के सम्बन्ध में वैसा होता नहीं है । एक माननीय सदस्य ने बतलाया कि उन की शक्ल अच्छी नहीं होती, सारे लोग काले होते हैं, भोंड़े होते हैं, बाबू लोगों को जरा जंचते नहीं, इसलिये उन को सर्विसेज में नहीं लिया जाता । मगर हमारे शिक्षित वर्ग में जो यह भावना है उस को निकालना चाहिये, उन के गुणों की तरफ देखना चाहिये और सोचना चाहिये कि हम किस प्रकार से उन को ट्रेन्ड कर सकते हैं, किस प्रकार से उन को शिक्षा दे सकते हैं । इस का ध्यान कर के उन को उपयोग में लाना चाहिये और सभी क्षेत्रों में उन को सर्विसेज देने का प्रयत्न करना चाहिये ।

श्री मा० ला० वर्मा (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, मैं आज ढेबर कमिशन की रिपोर्ट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य से पूछ लीजिये कि पिछले सेशन में वे इस पर बोले तो नहीं थे ।

श्री मा० ला० वर्मा : मैं खास कर जो हमारी उपमंत्रणी हैं उन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि दरअस्ल.......

Mr. Chairman: If you have expressed your views once on this report, there is difficulty about your expressing your views twice on the same subject.

श्री मा० ला० वर्मा : मुझ से स्पीकर साहब ने पहले पूछ लिया था मार्शल की मार्फत कि मुझे केवल तीन मिनट उस समय मिले थे । उन्होंने इजाजत दे दी है । आप उन से पूछ लीजिये । मैंने पन्द्रह मिनट मांगे थे । उस समय मुझे केवल तीन मिनट मिले थे । इस लिये तीन मिनट घटा कर बारह मिनट मुझे आज मिलने चाहिये ।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): On a point of order. The convention in this House has been that in discussions like these Members are allowed to speak only once. If a Bill is being discussed, then chances are given to the Members to express their views twice or thrice, as the case may be. If Members are given opportunities twice to express their views on such discussions as these, what will be the fate of the Opposition Members?

Mr. Chairman: The technical difficulty is this. A Member can express his views only once on a particular subject. This is only further discussion on the same report. So, the hon. Member may kindly resume his seat.

श्री स० मो० बनर्जी : सभापति महोदय, इस ढेबर कमिशन रिपोर्ट का थोड़ा बहुत अध्ययन मैं ने भी किया है और मैं यह समझता हूं कि शेड्यूल्ड ट्राइब्ज और शेड्यूल्ड कास्ट्स की जो हालत आज तक इस देश में रही है, यह जरूर है कि उस में थोड़ी बहुत उन्नति हुई है, लेकिन जो वादे उन से किये गये थे उन की ओर जिन लोगों ने गांधी जी के चरणों में बैठ कर राजनीति सीखी थी, जिन्होंने भंगी कालोनी में बैठ कर उन के उपदेश सुने थे और जिन को ज्यादा उत्साह देना चाहिए था, इस दलित वर्ग और शोषित वर्ग की ओर, उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया । अभी मेरे बहुत से मित्रों ने इस सदन में काफी तफसील के साथ बतलाया कि लोगों की हालत है क्या । क्या वाकई समाज में जो स्थान उन्हें मिलना चाहिये था वह उन को मिला है ? यदि वह स्थान उन्हें नहीं मिला है तो क्या उन को वह स्थान दिलाने की कोशिश की जा रही है ? मैं तकरीबन हर सेशन में देखता हूं कि एक न एक रिपोर्ट आ जाती है । कभी रिपोर्ट ३०० पेज की होती है और कभी ४०० पेज की होती है । उस को पढ़ने से मालूम होता है कि देश में अब छुआ छूत की बीमारी नहीं रही और क्रान्ति की जो स्टेज हुआ करती है वह तकरीबन आ गई । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अब भी अगर हम लोग देहातों में जाय

[श्री स० मो० बनर्जी]

और देहातों में जा कर देखें तो पायेंगे कि आज भी ऐसे-ऐसे कुंएं बने हुए हैं कि जहां पर चाहे कोई शेड्यूल्ड कास्ट्स का हो या शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का हो, वह पानी नहीं पा सकता है। अभी ग्राम पंचायत के चुनावों में हम ने देखा कि जहां पर वे लोग चुनाव जीत भी गये वहां उन को इतने बुरे तरीके से परेशान किया गया कि उन्होंने मजबूर हो कर इस्तीफा दे दिया। कुछ क्षेत्रों में यह देखा गया है कि उन के परिवार को मार डाला गया है गोली से। अलीगढ़ में वह चीज देखी आप ने जिस को हम इस सदन में लाना चाहते थे। अगर कभी हम उन लोगों के सामने जा कर कहें कि आज हमारे परम पज्य राष्ट्र पिता के सपनों का राम राज्य आ रहा है, और वह हम से पूछते हैं कि राम राज्य कैसा आया तो कभी कभी मुसीबत आ जाती है। क्योंकि राम राज्य की उन की परिभाषा जो थी वह ऐसी थी कि जिस में खास कर उस वर्ग को जो कि निम्न स्तर का है, खाना मिलेगा, रहने के लिये मकान मिलेगा, नौकरी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि फाके कशी से हमारे बच्चे भूखे मरें। मैं ने देखा है कि चुनावों में जब माननीय मंत्री महोदय भाषण देते हैं तो खास कर एक ऐसे बच्चे को बिठा लेते हैं जो फटे पुराने कपड़े पहने होता है और जो कि दलित और शोषित वर्ग का होता है, और उसकी तरफ उंगली दिखा कर कहते हैं कि यह आने वाले हिन्दुस्तान का, आजाद और प्रजातांत्रिक हिन्दुस्तान, प्रधान मंत्री है। उसके माता पिता यह सुन कर खुश हो जाते हैं और मीटिंग खत्म होने पर लड़के का हाथ पकड़ कर घर ले जाते हैं और यह समझते हैं कि यह हमारा मुन्ना नहीं है, बल्कि आने वाले हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री है। पांचवें दरजे तक तो उसकी शिक्षा हो जाती है। और जब वह पांचवां दरजा पास करके आता है तो पिता के चरण छूता है और माता उसको लिपटा लेती है। और सोचती है कि मंत्री महोदय ने कहा था कि यह आने वाले हिन्दुस्तान का प्रधान मंत्री है। लेकिन छटे दरजे की किताबों का मूल्य जब उसको २२ रुपया मालूम होता है तो उसके पास वह नहीं होता और आने वाले हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री की पढ़ाई खत्म हो जाती है और उसकी यह शक्ल निकलती है कि या तो वह कहीं बूट पालिश कर रहा होता है या बरतन मांज रहा होता है और किसी होटल में काम कर रहा होता है।

रिपोर्ट को पढ़ने से तो लगता है कि तमाम चीजें हो रही हैं, और राम राज्य आ रहा है। लोग पूछते हैं कि कौनसा राम राज्य आ रहा है। राम राज्य दो तरह का हो सकता है। गांधी जी का राम राज्य तो यह था कि लोगों को खाना मिले, मकान मिले, और जरूरत की तमाम चीजें मिलें। लेकिन समझ में नहीं आता कि यह कैसा राम राज्य है। जब गल्ले का सवाल आता है और चावल की कमी होती है तो सरकार कहती है कि गेहूं खाओ, अगर गेहूं की कमी होती है तो कहा जाता है कि बाजरा खाओ। अगर शक्कर नहीं है तो कहा जाता है कि शक्कर छोड़ दो, चावल नहीं है तो कहा जाता है कि चावल खाना छोड़ दो। कपड़ा नहीं है तो कहा जाता है कि कपड़ा पहनना छोड़ दो। और अगर नेहरू जी हमारे देश के राम हैं तो हम तमाम ४५ करोड़ वानर सेना हैं, जो पेड़ों पर रहें, फल फूल खायें, जिनको न खाने की जरूरत है और न मकान आदि की जरूरत है। तो यह राम राज्य तो लाया गया है, लेकिन जो कि गांधी जी की कल्पना का रामराज्य था वह तो नहीं आया है।

पढ़ने लिखने का यह हाल है कि लोग हमारे पास रोते आते हैं कि हमारे बच्चों का स्कूलों में दाखिला करवा दीजिए। जो लोग बिल्डिंग फंड में पैसा नहीं दे सकते उनके

बच्चों का दाखिला नहीं होता । जब बिल्डिंग फंड में दस पांच रुपया देते हैं तो दाखिला होता है । जो वजीफा लड़कों को दिया जाता है वः छः छः और सात सात महीने के बाद मिलता है । ऐसी हालत में मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह इस बात पर प्रकाश डालें कि वास्तविकता क्या है । क्या जो चीजें किताबों में लिखी हैं वे हो रही हैं ? कमीशन नियुक्त किया जाता है । इस देश में कमीशन और कमेटी की परम्परा बन गयी है । पहले कमीशन बनाया जाता है, फिर कमीशन सो जाता है और लेट जाता है और उसे जगाने के लिए फिर दूसरा कमीशन नियुक्त किया जाता है । इस प्रकार काम चल रहा है ।

बस्तर में गोली क्यों चली ? बस्तर का महाराजा जो कि लुटेरा था उसका साथ क्यों दिया गया ? इसलिए कि उस तमाम इलाके में कोई उन्नति नहीं हुई है । आज भी इस क्षेत्र की लोगों की हालत यह है कि तीन महीने महुआ उबाल कर खाते हैं । आप बस्तर में चले जाइये, छोटा नागपुर के पालमा, हजारी बाग और रांची जिलों में चले जाइए, वहां लोगों को तीन महीने ही साल भर में अनाज मिलता है और तीन महीने वे महुए को उबाल कर खाते हैं और उस के बाद कुछ पौधे होते हैं जिन के पत्तों और जड़ को उबाल कर खाते हैं । अगर आप ने नंगों को और भूखों को काफी तादाद में देखना ही तो आप को वहां देखने को मिल सकते हैं ।

मैं यह तो नहीं चाहता कि इस रिपोर्ट के हर चैप्टर पर बहस हो, लेकिन मैं आज उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने बापू के चरणों में बैठ कर शिक्षा पायी है कि क्या वे आज हरिजनों और शोषक वर्ग को और समाज के बराबर ला पाए हैं । इन को सरविसेज में रिजरवेशन दे दिया गया है यह ठीक है लेकिन आप देखें कि उच्च नौकरियां में

उन की कितनी संख्या है । उन को कोई प्रिफरेंस नहीं दिया जाता । मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ, उस को सुप्रीम कोर्ट ने अपसैट कर दिया लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया ।

लोग हमारे पास इस बात का सरटिफिकेट लेने आते हैं कि वे शिड्यूल्ड ट्राइब हैं और बतलाते हैं कि हम शिड्यूल्ड कास्ट के हैं और हम शिड्यूल्ड ट्राइब के हैं । लेकिन जब वे उस सरटिफिकेट को देते हैं तो उनसे कहा जाता है कि एम० एल०एज० और एम० पीज० का सरटिफिकेट नहीं चाहिये बल्कि तहसीलदार और मजिस्ट्रेट का सरटिफिकेट होना चाहिए । और जब वे उन का सरटिफिकेट लेने जाते हैं तो उन को दस पांच रुपया रिश्वत का देना पड़ता है क्योंकि सब से ज्यादा रिश्वत कचहरियों में चलती है । अगर वह दस रुपया दे दें तो अगर वह शर्मा हो तो भी शिड्यूल्ड कास्ट बन जाता है और अगर दस रुपया न दे तो वह शिड्यूल्ड कास्ट होते हुए भी शिड्यल्ड कास्ट का सरटिफिकेट नहीं पा सकता ।

ऐसी हालत में मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदया इस पर प्रकाश डालें । वरना अगर वह जो कुछ अभी तक कहती आयी हैं वही कहेंगी तो हम को एतराज नहीं हो सकता । हम भी उस को सुनने के आदी हो गए हैं और वह भी उस को कहने की आदी हो गयी हैं । लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में कितनी उन्नति हुई है ।

यह ठीक है कि कुछ सामाजिक उन्नति हुई है । जब अफसर उनके इलाके में जाते हैं तो उन लोगों से कहा जाता है कि नाचो गाओ । नाच गाना तो ठीक है । इस से उन की कल्चुरल लाइफ में उन्नति होगी । लेकिन अगर उन के पास कपड़ा नहीं है, खाना नहीं है, मकान नहीं है तो सिर्फ इस कल्चुरल लाईफ में तरक्की से काम चलने वाला नहीं है । इसलिए मैं कहूंगा कि अगर सामाजिक

[श्री स० मो० बनर्जी]

उन्नति के साथ साथ आर्थिक उन्नति न हुई और इन रिपोर्टों पर ठीक से अमल न किया गया तो ये रिपोर्टें बेकार जाएंगी ।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : सभानेत्री जी, यह जो कमीशन की रिपोर्ट पेश हुई है इस में हर स्टेट के शिड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में अलग-अलग चैप्टर दिए हुए हैं । कमीशन ने यह माना है कि सब से अधिक आदिवासी मध्य प्रदेश में रहते हैं, और यह भी स्वीकार किया है कि पिछले सालों में मध्य प्रदेश के आदिवासियों और आदिम जाति वालों की उन्नति के लिए जो कुछ भी किया गया है वह संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता ।

प्लान में इन की उन्नति के लिए जितने रुपये की व्यवस्था की गयी थी उस का केवल ३६ प्रतिशत खर्च किया गया और बाकी रुपया खर्च नहीं हुआ । जब यह स्थिति है तो आदिवासियों की स्थिति का कैसे सुधार हो सकता है, उन की उन्नति कैसे हो सकती है, वे कैसे आगे बढ़ सकते हैं । इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? मैं समझता हूं कि केवल यह कहने से काम नहीं चलेगा कि राज्य सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ढीला रहा । इस की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर भी आती है और यह ऐसा विषय है जिस की विशेष जिम्मेदारी गवर्नरों पर भी है, लेकिन अन्तिम रूप से इसके लिए केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है । तो मेरा निवेदन है कि केवल यह कह कर संतोष नहीं कर लेना चाहिए कि राज्य सरकार ने अपना काम नहीं किया ।

इस में अनेक कठिनाइयां हैं । एक तो यह है कि जिन जिलों में आदिवासी रहते हैं उनके लिए उचित रूप से ट्रेंड शासकों का अभाव रहा है । दूसरे ये बड़े-बड़े जिले हैं जिन में यातायात के साधनों का बड़ा अभाव है । सिंचाई के साधन यहां नहीं हैं । और इस बात को कमीशन ने स्वीकार किया है कि सिंचाई के साधन बहुत कम हैं । वैसे हमारे राज्य में केवल ६ परसेंट इर्रीगेशन है । पर आदिवासी क्षेत्रों में तो और भी कम है । इस तरफ जब तक राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार मिल कर ध्यान नहीं देंगी तब तक यह मध्य प्रदेश का क्षेत्र पिछड़ा ही रहने वाला है ।

उन की शिक्षा का जहां तक संबंध है, यह ठीक है कि कुछ स्कालरशिप मिल रहे हैं, बस्तर में एक होस्टल भी कायम किया गया है । हाई स्कूल और हायर सैकिंडरी स्कूल भी बने हैं । लेकिन इस क्षेत्र में भिलाई का कारखाना है और उसके लिए टैकनिकल परसन्स ट्रेन करने के लिए इस क्षेत्र में एक टैकनिकल इंस्टीट्यूशन की बड़ी जरूरत है ।

15.39 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

और केन्द्रीय सरकार को आदिवासियों के बच्चों की उन्नति के लिए इस क्षेत्र में ऐसे इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था करनी चाहिए । इसी तरीके से वहां आबपाशी के जरियों को सुधारने के लिए, अधिक आबपाशी हो इसके लिए अधिक रुपया देना चाहिए और मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार पर कुछ अपना प्रभाव काम में ला कर जो कि बस्तर जैसा ज़िला है, जहां हम खुद गये थे और उस को देखा था सुधार कार्य तत्काल करायें । इतना बड़ा ज़िला है और बारिश में जब पानी गिरता है तो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाना, एक तहसील से दूसरी तहसील में जाना मुश्किल हो जाता है और अधिकारियों के लिए भी दौरा करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है । अब उन जिलों की कुछ ऐड-मिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स छोटी करें । आवागमन के साधन करे कि जहां आफिसर्स बराबर दौरा कर सकें, जहां कि उनकी जीप कार्स वग़ैरह जा सकें । और वे लोगों की हालत को देख सकें । इसलिए इस तरफ़ विशेष ध्यान देने की जरूरत है ।

इसके अलावा ऐक्सप्लायटेशन इन आदिवासियों का बहुत ज्यादा होता है। मध्य प्रदेश सरकार ने वहां कुछ कदम उठाये थे। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासियों का धन लकड़ी और जंगल है। आदिवासियों का धन लकड़ी होती है। वहां पर उनकी हालत को सुधारने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया कि बग़ैर कलक्टर की इजाजत के कोई दरख्त न तो काट सकेगा और न बेच सकेगा। उसकी बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा और वह कलक्टर के यहां होगा। उसकी बिक्री कलक्टर के यहां होगी। कलक्टर अपने सामने रुपया दिलाता है लेकिन इसके बावजूद हजारों की संख्या में पेड़ बिके हैं और उनका पैसा जो किसानों को मिलना चाहिए वह नहीं मिला है। बाहर से लोग आते हैं, ट्रकों में भर भर कर ले जाते हैं और बराये नाम उनको पैसा देकर ले जाते हैं। वहां सब फर्जी कार्यवाही होती है।

इसी तरीके से लेन देन का मामला है। थोड़ा सा आदिवासियों को कर्ज दिया। चाहे जैसे आदिवासियों के अंगूठे करवा लिये, वे बहुत सीधे लोग होते हैं, चाहे जैसे लिख लिया। वे लोग बहुत सीधे होते हैं। अब बात यह है कि आदिवासियों में ईमानदारी कूट-कूट कर भरी हुई है। अगर वह कत्ल भी करेंगे तो जाकर पुलिस को कह देंगे कि हमने कत्ल किया है। चोरी उनके यहां होती नहीं है। चोरी करना वे जानते नहीं। इतने सीधे वे लोग होते हैं। इनके लिए अधिकारी विशेष तौर पर ट्रेंड होने चाहिएं। ऐसा नहीं कि हर एक कलक्टर को या डिप्टी कलक्टर अथवा हर एक पुलिस इंस्पैक्टर को वहां भेज दिया। वहां पर भेजना चाहिए एक विशेष क्लास को जिसको कि सिम्पैथी हो, जिसमें सेवा की भावना हो। वे लोग अच्छे अधिकारियों को एप्रीशिएट करना जानते हैं। जिस समय हम और कुछ मित्र लोग वहां गये थे, हमारे साथ चौधरी रणबीर सिंह भी थे तो वहां बस्तर में एक कलक्टर पहले रह चुके थे जिनका कि नाम मिस्टर पवार था, उनकी मृत्यु हो चकी थी लेकिन उनके काम से आदिवासी इतने अधिक सन्तुष्ट थे कि जहां कहीं भी हम गये लोग पवार साहब का नाम लेते थे और उन्होंने उनके नाम पर एक गांव भी बनाया हुआ था। इसलिए यह आवश्यक है कि जो अफसर वहां भेजे जायें वे ऐसे हों जो यह समझते हों कि इस जाति को ऊपर उठाना उनका धर्म व कर्तव्य है। वे अधिकारी उनके लिए दिन रात एक करने वाले होने चाहिएं और जब निष्ठा, श्रद्धा और ईमानदारी के साथ वे काम करेंगे तभी यह समस्या सफलतापूर्वक हल हो सकती है। ऐसे अफ़सरों का एक दल कायम हो। उसके लिए ज़रूरी है कि उनमें विशेष तरह की ट्रेनिंग दी जाय। उनमें इस तरह का भाव पैदा हो तभी यह काम चल सकता है। आजकल होता क्या है? अगर कोई अफ़सर गलत काम कर रहा है तो उसको सजा के तौर पर बस्तर ट्रान्सफर कर दिया जाता है। अब वहां अफसर की तबियत भी नहीं लग सकती है और आदिवासियों का कल्याण भी नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस प्रश्न को यदि हल करना है तो सब के पहले यह ज़रूरी है कि वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक अलग स्टाफ़ रखा जाय जिनको कि अलग से ट्रेनिंग दी जाय। उन के लिए अलग से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो। जिस तरीके से ऐडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान के लिए यहां ट्रेनिंग दी जाती है उसी तरीके से आदिवासी क्षेत्र के लिए वैल ट्रेंड लोग भेजे जायें। इसके अलावा सुपरविज़न का इंतजाम ठीक हो और यह देखा जाय कि वह बराबर ठीक काम करते हैं या नहीं और स्कीमों पर रुपया ठीक से खर्च होता है अथवा नहीं। अब देखने में यह आता है कि ऐन मौक पर जब साल ख़त्म होने को होता है तब जल्दी जल्दी एलौटमेंट रुपये का किया जाता है और परिणामस्वरूप रुपया खर्च नहीं हो

[श्री राधेलाल व्यास]

पाता है और जो लाभ लोगों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है । यह बड़ा विकट प्रश्न है । कमीशन ने इसमें काफ़ी मेहनत की है । मैं कमिशन के चेअरमैन और मेम्बर्स को भी बधाई देता हूं । मध्य प्रदेश की ओर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है । वहां का जो प्रशासन है, वह दूसरे राज्यों के मुकाबले में पिछड़ा हुआ है । वहां के आदिवासियों की स्थिति शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और स्वास्थ्य की दृष्टि से, कहने का मतलब यह है कि सभी तरह से पिछड़ी हुई है । इसलिए उस ओर भी ज्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ।

वहां का जो आबू मार्ग क्षेत्र है और वहां जो आदिवासी बसते हैं, आपको यह सुन कर आश्चर्य होगा कि वह बिल्कुल एक सब से पुरानी स्थिति में रहते हैं । वे अभी भी कपड़ा पहिनना नहीं जानते हैं । सभ्यता क्या है और दुनिया कितनी आगे बढ़ी है, इसकी हवा भी उन्हें नहीं लगी है । यह वह इलाका है जहां दूसरे लोग और अफसर लोग पहुंच नहीं पाते हैं और न वहां कोई जाने का प्रयत्न करता है क्योंकि वहां जाना बड़ा मुश्किल होता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इन क्षेत्रों का हमारे केन्द्रीय मंत्री भी दौरा करें और अपनी आंखों से वहां की स्थिति का अध्ययन करें । उनके कल्याण के लिए विशेष योजनायें बनाने से ही आदिवासी भाइयों का कल्याण हो सकेगा । यह हमारे लिये एक बड़ा अभिशाप है कि इतना बड़ा वर्ग पीछे रहे और हम थोड़े रूप में उनके लिए योजनाएं बना कर धीरे धीरे काम करें । अब धीरे धीरे चलने का समय नहीं है । जो ज्यादा पिछड़े हुए हैं उनके लिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है । ऐसा करने से ही वे लोग आगे बढ़ सकते हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम (बांदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि आज हम लोगों को इस महत्वपूर्ण समस्या पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिला । इसमें कोई संदेह नहीं कि कमिशन के सभी सदस्य और चेअरमैन हमारी बधाई के पात्र हैं । जितने परिश्रम, जितनी सूझबूझ और लगन के साथ उन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है उसे देख कर यह विश्वास सा हो जाता है कि अब इस समस्या के सुलझने में देर नहीं है । किन्तु मैं यहां यह भी स्मरण कराना चाहती हूं कि यदि इस रिपोर्ट के इम्पलीमेंट करने में, इस को पूरा करने में उस की सिफारिशों पर गम्भीरता से विचार नहीं हुआ और सही-सही कदम शीघ्र ही नहीं उठाये गये तो यह भी एक बिल्कुल बेकार की सी रिपोर्ट आगे चल कर बन जायेगी ।

श्रीमन्, इस रिपोर्ट में कुछ बहुत ही बुनियादी बातें कही गई हैं । कुछ बेसिक डिफैक्ट्स ४१ पेज पर हमें बतलाये गये हैं । मैं इस अवसर पर केवल थोड़े से अंशों को, दो, चार लाइनें, संक्षेप में यहां पर रक्खूंगी और उन के बारे में जिक्र करूंगी । इस में ४१ पेज पर तीसरे पैराग्राफ में यह लिखा हुआ है :—

"The basic defect in the Schedule is that the Governor's functions are insufficiently defined. The Constituent Assembly Sub-Committee had expected that an Instrument of Instructions would be issued to the Governors. The term "Instrument of Instructions" had, however, on account of its pre-independence associations, an unfortunate reputation, and did not find favour with the Constituent Assembly. But there was undoubtedly a need to supplement the provisions of the Constitution by further directions. That need is present even today. Without something of the kind, it will not be possible for the State Governments to realise the scope of their law-making and rule-making powers and their importance for the general development programme. The State Governments may still be advised to utilise

to the full the provisions of paragraph 5 of the Fifth Schedule within a given period."

जो बुनियादी डिफैक्ट्स हैं, उनको दूर किया जाना चाहिये । आज तक ऐसां नहीं किया गया है और इसका नतीजा यह है कि केन्द्रीय सरकार के या केन्द्रीय मंत्रालय के सारे प्रयास स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचते पहुंचते और फिर स्टेट के प्रयास नीच वहां आदिवासियों तक पहुंचते पहुंचते समाप्त से हो जाते हैं । आज स्थिति क्या है ? बड़ी बड़ी ग्रांट्स, बड़ी बड़ी सहायता की योजनायें केन्द्रीय मंत्रालय में हैं । कुछ स्टेट्स उनका थोड़ा बहुत फायदा उठाती हैं और इसका नतीजा यह होता है कि आदिवासी क्षत्रों में जा कर जब व पहुंचती हैं, तो उनका प्रभाव नहीं के बराबर हो जाता है । आप देखें कि लैंड रिफार्म्स का क्या हुआ है । कई बार इस सदन में इसके बारे में जद्दोजहद करनी पड़ी है, कितनी ही बार स्टेट्स में जोरों शोरों से आवाजें उठी हैं लेकिन फिर भी आदिवासी क्षत्रों में आदिवासियों का उसी प्रकार से एविक्शन जारी है । मेरे पास कई पत्र आए हैं अपने क्षेत्र से जिन में बताया गया है कि जमीन की बात तो दूर रही मकान वगैरह तक जोत दिये गये हैं । जमीन की बात तो आप छोड़ें, उनके मकान तक जुत गए हैं । जो शक्तिशाली ठेकेदार हैं, जो जंगलात में आदिवासी रहते हैं और उन से जो नाराज हो गये हैं, उनकी उन्होंने जमीनें तो ले ही ली हैं, पशु तो ले ही लिये हैं लेकिन साथ ही साथ मकान तक जोत दिये हैं । इस वास्ते मैं कहना चाहती हूं कि जहां तक एविक्शन का सम्बन्ध है, सरकार की ओर से जब तक उनको लीगल सहायता नहीं पहुंचाई जाती है, उनका एविक्शन बराबर जारी रहेगा, इस में कोई सन्देह नहीं है ।

एक बात मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जैसे दूसरे कई माननीय सदस्यों ने कहा है, जो प्रोग्रस की बेस है, जो विकास की गति है, वह बहुत धीमी है, बहुत स्लो है । भले ही हम लोग ऊंच ऊंच अदर्शवाद की बात करें, भले ही राजनीतिज्ञ या कुछ एडमिनिस्ट्रेटर्ज कह रहे हैं हों कि जहां तक आदिवासियों का प्रश्न है, उनके उत्थान की हम पूरी कोशिश करेंगे, उनके शोषण को रोकने की हम पूरी चेष्टा करेंगे, लेकिन हम को यह मानना पड़ेगा, हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उनका बहुत ही कम विकास हम कर पाये हैं और बहुत ही कम परिवर्तन हो पाये हैं । हम ने बड़े बड़े नैशनल प्राजैक्ट बनायें, बड़े बड़े डैम बनाये हैं और जिन जगहों पर ये बने हैं, वहांपर उन्होंने और हम सभी ने यह सोचा था कि हमारी मंगल कारी, हमारी कल्याणकारी सरकार और हमारा यह गृह मंत्रालय है जोकि उनके कल्याण में लगा रहता है, वह इस बात की चेष्टा अवश्य करेगा कि कम से कम सरकारी स्तर से तो इन लोगों को शोषण न हो । इन लोगों की जमीनें ली गई हैं लेकिन आज तक भी बहुत सी जगहों में इनको मुआवजा नहीं मिला है । मैं आपका ध्यान रिहंद और तलैया डैम्ज की ओर खींचना चाहती हूं और उन क्षत्रों में रहने वाले लोगों की ओर दिलाना चाहती हूं जिन आदिवासी भाइयों की वहां पर जमीनें ली गई हैं, उनको अपनी जमीनों का बहुत ही थोड़ा मुआवजा दिया गया है और यह थोड़ा सा पैसा भी इस प्रकार से दिया गया है कि न तो ये बेचारे जो आदिवासी भाई हैं, उससे मकान बना पाये हैं और न जमीनें ही ले पायें हैं और उनकी स्थिति बहुत ही गिर गई है । पहले तो ये जंगलों में फल फूल खा लेते थे और अपने छोटे से झोंपड़े में रह लेते थे लेकिन आज उनकी स्थिति भिखारियों की सी हो गई है और भिखारी वृत्ति उन में से बहुतों को मजबूर हो कर अपनानी पड़ी है । जो थोड़ा सा पैसा उनको मिला, वह उन्होंने आजकल की सभ्यता के सम्पर्क में आ कर खर्च कर डाला और अब उनके पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं रह गया है । वह रुपया उन्होंने

[श्रीमती सावित्री निगम]

थोड़ से दिनों में खर्च कर डाला और अब व उजड़ गए हैं। मेरा सुझाव है कि जब कभी आदिवासी क्षेत्रों की कोई भमि ली जाए तो गृह मंत्रालय को आदेश निकालना चाहिए कि आदिवासियों के पुनर्वास की एक समुचित योजना बना दी जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो मुझे विश्वास है कि फिर इस प्रकार से उनके पुनर्वास की समस्या न तो केन्द्रीय मंत्रालय के सामने रखी ज गी और न ही समाज सेवियों के लिए यह कोई समस्या बन सकेगी।

कर्ज के सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहती हूं। स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस बारे में बड़े अच्छे अच्छे कानून बनाये हैं और अच्छे अच्छे कदम उठाये हैं। लेकिन इतना होने पर भी आदिवासी क्षेत्रों में जो मनीलेंडर हैं, जो महाजन हैं, वह उसी तरह से शोषण कर रहा है जिस तरह से पहले किया करता था। एक माननीय सदस्य ने कहा कि जब तक हम आदिवासी क्षेत्रों में काम करने के लिए एसे कार्यकर्ताओं को नहीं भेजेंगे जिन के हृदय में सहानुभूति हो, जो उसी क्षेत्र से आते हों और उस क्षेत्र की समस्याओं को समझते हों, जिनको आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करने की विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी गई हो, तब तक इन बेचारे भाइयों का कल्याण कभी न हो सकेगा। इसका कारण यह है कि उनकी जो नित्य प्रति की आवश्यकतायें हैं, उन से हमारे अधिकारीगण बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहते हैं और वह इस बात से भी अनभिज्ञ रहते हैं कि कौन सा मनीलेंडर है जो कि उनका इस प्रकार से शोषण करता है। आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि आजकल भी मनीलेंडर की तरफ से इन आदिवासियों को २५ परसेंट और २६ परसेंट की दर से सूद पर रुपया दिया जाता है। और कहीं की नहीं अपने ही क्षेत्र की बात मैं आपको बता रही हूं। मैंने एक मैमोरेंडम भी इस विषय में स्टेट गवर्नमेंट को भेजा है और उसमें बताया है कि वहां पर जो मनीलेंडर हैं उन्होंने आदिवासियों पर इतने कर्ज चढ़ा रखे हैं कि व जन्मजन्मान्तर तक निकल नहीं सकते हैं और जन्मजन्मान्तर तक व गलाम बने रहेंगे। होता यह है कि बाबा का कर्ज जो होता है, उसको अगर उसका पुत्र नहीं चुका पाता है तो उसका जो ग्रांडसन होता है, वह भी उसी प्रकार से ठेकेदार के यहां जाकर मुफ्त में काम करता है और एसे लोगों की संख्या कम नहीं है। दो दो और डेढ़ डेढ़ सौ कोल इस तरह से ठेकेदारों के यहां काम करते हैं। अगर कोई आदमी भाग करके अपनी जान बचाने के लिए दूसरे गांव चला भी जाता है तो ठेकेदार के गुंडे जाकर उसको मार पीट कर वापस मनीलेंडर के यहां ले आते हैं और वह उससे काम करवाता है। ये आदिवासी भाई आज भी ठकेदारों की सम्पत्ति बनी हुई हैं। इस विषय में मैंने श्रीमती सुचेता कृपालानी को लिखा था और उनको वहां ले जाकर स्वयं दिखाया था। पहले तो वह मेरी बात को सच ही नहीं मानती थीं लेकिन मैंने उनको वहां ले जाकर उनके सामने कलेक्टर से पूछा कि आप बतायें कि मेरे स्टेटमेंट में क्या कमी है तो कलैक्टर साहब ने कहा कि मेरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आज भी एक एक ठेकेदार के पास दो दो सौ और डेढ़ डेढ़ सौ कोल ऐसे हैं जो कि जन्मजात गुलाम हैं और दासत्व प्रथा एसा मालूम होता हैं कि आज भी उस स्टेट के उस क्षेत्र में विद्यमान है। वे लोग पूरी जिन्दगी भर ठेकेदार के लिए काम करते हैं। जहां तक गृह मंत्रालय अथवा गृह मंत्री जी का सम्बन्ध है या गृह मंत्राणी जी का सम्बन्ध है उनके हृदय में उनके प्रति सहानभूति है, यह मैं जानती हूं। मैं यह भी जानती हूं कि उन्होंने इस बात की चेष्टा भी की है कि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट से कुछ न कुछ उनकी सहायता करवाई जाए। लेकिन श्रीमन्, वही बात है कि जब ऐसे

अधिकारी जिन की न तो उन लोगों के प्रति सहानुभूति है और न ही योग्यता या अनभव है और न ही कोई ज्ञान है, वे वहां भेज दिये जाते हैं, तो कुछ भी नहीं हो पाता है। नतीजा यह होता है कि जीप में वे लोग जाते हैं और इधर उधर सैर करके और दो चार बार अन्दर भीतर जा आकर वापिस आ जाते हैं आपको चाहिए कि आप एडवाइज़री काउंसिल या एडवाइजरी कमेटी उस क्षेत्र में जा कर बनायें और यहां जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, उनका पूरा सहयोग लें जैसा कि हरिजन विभाग में होता है। हरिजन विभाग में जो उस क्षेत्र के समाजसेवी लोग हैं उनको थोड़ा सा आनरेरियम दिया जाता है। इसी तरह से यदि आदिवासी क्षेत्रों के लिए उन समाजसेवियों के लिए जो वहां काम करने के लिए तैयार हों या पहले से काम कर रहे हों यदि थोड़ा सा अनानरेरियम दिया जायगा, सवारी वगेरह का खर्च दिया जाएगा और एक एक आदिवासी क्षेत्र में अच्छे अच्छे दस दस या पन्द्रह पन्द्रह कार्यकर्ता रखे जायेंगे तो कोई वजह नहीं है कि चाहे अनुभवहीन ही कोई अधिकारी क्यों न हो, वह उन कार्यकर्ताओं के अनभव से लाभान्वित हो करके, उन क्षत्रों में एक नई रोशनी जगा देगा।

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि एक बार इन आदिवासी भाइयों को आप अवसर दे दें, एक बार इनको औजार दे दें, एक बार इनकी थोड़ी सी सहायता कर दें फिर आप देखेंगे कि इतनी तेजी से और इतने ब्रिलियेंट और इतने इंटेलीजेंट इनके दबच्चे निकलेंगे, इतने होशियार निकलेंग कि वे अपनी सारी समस्यायें स्वयं ही हल कर लेंग। एसा हुआ है और आग भी हो सकता है।

अब मैं एक ऐसे क्षेत्र की बात कहना चाहती हूं जो कि शैडयूल्ड एरिया में लिया जाना चाहिये था लेकिन लिया नहीं गया। और भी बहुत से क्षेत्र हो सकते हैं लेकिन एक के बारे में मैं विशेष रूप से कहना चाहती हूं। बांदा के एक क्षत्र की बात मैं कहती हूं। वह आदिवासी क्षेत्र है। यहां गृह मंत्रालय से भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि हालांकि देर हुई है, भूल हुई है, गलती हुई है लेकिन जब उस क्षेत्र को आप अपने शैड्यल में शामिल कर लीजिये, उस वक्त इसको किसी वजह से नहीं कर पाये थे। मैं समझती हूं कि यदि उस क्षेत्र को शैड्यूल में शामिल कर लिया जाए और गृह मंत्रालय से मिलने वाले सारे लाभ उस क्षेत्र को दिये जाने लगें तो वहां की जो दयनीय स्थिति आज है, उसका अन्त करने में देर नहीं लगगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म करें।

श्रीमती सावित्री निगम : यह बहुत ही गम्भीर विषय है और इस पर मझे समय दिया जाना चाहिये। मैंने एक दो प्वाइंट ही आपके सामने रख हैं और अभी तो काफी कुछ कहने को पड़ा हुआ है। अगर एक दो मिनट देने की और कृपा करेंगे तो मैं आपकी आभारी होऊंगी वर्ना आपकी आज्ञा हो तो यहीं खत्म कर दूं और बैठ जाऊं।

उपाध्यक्ष महोदय : ले लीजिये।

श्रीमती सावित्री निगम : स्टेट गवर्नमेंट्स केन्द्रीय सरकार से जिन विषयों में मद्द मांगती हैं, मैं चाहती हूं, उस के नियमों में थोड़ी सी लैक्सेविलिटी लाई जाए। कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो वहां केन्द्रीय सरकार ने तो स्वीकृत कर दी हैं लेकिन चूंकि स्टेट्स में परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं, इसलिए थोड़ी सी स्टेट गवर्नमेंटस को छूट रहे और वे अगर फ्लैक्सेविलिटी लाना चाहें तो इस की उन को डिसक्रीशन रहे तो अच्छा होगा। मैं य सुविधा किसी व्यक्ति विशेष या स्टेट विशेष के लिए नहीं मांग रही हूं। जो स्टेट गवर्नमेंट्स इन योजनाओं में फ्लेक्सेविलिटी लाना चाहें या इस की जरूरत समझें तो उन को इस की इजाजत रहनी चाहिये। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहती हूं कि आश्रम बनाने की या होस्टल

[श्रीमती सावित्री निगम]

बनाने की योजना य ां पर केन्द्रीय सरकार से स्वीकृत सी है और उसके लिए काफी धनराशि दी जाती है । लेकिन यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि कोई ऐसा इंडस्ट्रियल स्कूल खोल दें जिस में कि आदिवासियों को हर प्रकार के कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाये तो उस में हमेशा यह अड़चन आती है कि आप उन से क ते हैं कि वे अपने उद्योग विभाग से य ग्रान्ट दिलायें, हम तो आप को होस्टल के लिये ग्रान्ट दे सकते हैं । मैं गृह मंत्रालय से आप के और इस सदन के द्वारा य निवेदन करना चाहती हूं कि जब कभी स्टेट गवर्नमेंटस अपनी नई नई योजनायें बनायें तो उन्हें थोड़ी फ्लेक्सविलिटी देनी चाहिए, उन के साथ कुछ उदारता बरतनी चाहिये । स्टट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी किसी कदर भी केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी से कम नहीं है । जन कल्याण योजनायें होती हैं चूंकि उन का संबंध सीधा मासेज से, जन समुदाय से होता है इसलिये य आवश्यक है कि उन की जो प्रार्थनायें हों उन्हें जरूर सुना जाये । ट्राइबल वेलफेर कौंसिल जो है उस को आथारिटी मिलनी चाहिये कि जो ग्रांट्स स्टेट गवर्नमेंट से मिलें या केन्द्रीय सरकार से मिलें वे उन को अन्डर वेरियस हेडस चेन्ज कर सकें । आप को मालूम है कि ट्राइबल वेलफअर कौंसिल में बड़ी छानबीन और स्क्रूटिनी के बाद वही व्यक्ति लिये जाते हैं जिन का पुराना अनुभव होता है ट्राइवल्स के बीच में काम करने का । जब कभी ट्राइबल्स वेलफअर कौंसिल की सिफारिशें के संबंध में ग्रान्टस को थोड़ा बहुत चेन्ज किया जाय तो उसे मानने में न गृ मंत्रालय को और न ही स्टट गवर्नमेंटस को कोई हर्ज समझना चाहिये ।

16 hrs.

सेपरेट सेक्रटरियेट जो होता है वह स्टेट गवर्नमेंट्स में भी बनाना चा ये । हम लोगों ने कई बार मांग की यहां पर कि एक ट्राइबल वेलफेअर मिनिस्ट्री अलग बनाई जाये । मत बनाइये मिनिस्ट्री, लेकिन मैं चाहती हूं कि कम से कम एक अलग सेक्रेटरियेट बने ताकि जो प्रार्थना पत्र आयें ट्राइवल वेलफेयर के लिये वे विशाल मंत्रालय में आ कर खो न जायें । अगर अलग केन्द्र इस तरह का स्थापित किया जाये तो मैं समझती हूं कि उनके काम में बहुत तीव्रता आ सकती है ।

एक बात और कह कर मैं समाप्त करती हूं । चाहे कलेक्टर्स हों चाहे ट्राइबल वेलफअर आफिसर हों, उन लोगों में आपस में कभी कभी एक प्रकार से कोई सम्पर्क नहीं होता है । मैं चाहती हूं कि जितना भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे ईरिगेशन डिपार्टमेंट हो चाहे कोई और' ट्राइबल वैलफेअर के लिये सारे डिपार्टमेंट्स में पूरा सहयोग मिलता रहे । एक डिपार्टमेंटल एडवाइजरी कौंसिल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्राइबल वैलफेअर के लिये बननी चाहिये ।

Mr. Deputy-Speaker: Shri Rattan Lal. He is not here. He came to me just now. Shri K. N. Tiwary.

श्री क० ना० तिवारी : (बगहा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट को पढ़ने पर ऐसा मालूम होता है कि कमिशन जो घूमा है उस ने कुछ पार्टस को बिल्कुल छोड़ दिया है, और व है मेरा जिला चम्पारन । चम्पारन का जो नेपाल की तराई का इलाका है उसके किनारे धांगड़, मुस र, था आदि जातियां बसती हैं । धांगड़ लोग छोटा नागपुर से व ां गये हुए हैं । उन की वही हालत है जो छोटा नागपुर में बसने वाले धांगड़ों की है । ये उरांव और मुंडा आदि नामों से जाने जाते हैं । जिस समय चम्पारन में इंडिगो प्लैन्टर्स थे उस वक्त वे छोटा नागपुर से उन को ले गये थे । उन की तादाद काफी थी । करीब डेढ़ लाख आबादी था कि वहां पर है । उनकी आर्थिक और सामाजिक हालत वैसी ही है

जैसा कि छोटा नागपुर या दूसरे प्रदेशों में बसने वाले जो ट्राइबल्स हैं उनकी है । वहां पर वह कमिशन नहीं गया और उनलोगों की हालत को उस ने नहीं देखा । मेरा नम्र निवेदन है कि जो सुविधायें और जगहों के लिये दी जायें वही सुविधायें वहां भी दी जायें ।

हम लोगों को अनुभव यह है कि जो उन लोगों के रेजिडेंशल स्कूल खोले जाते हैं, उन में जो शिक्षा दी जाती है और उन का जो प्रबंध है वह ऐसा है जिस से जो फायदा होना चाहिये, और जो उद्दृश्य है रेजिडेंशल स्कूल खोल कर फायदा पहुंचाने का, वह पूरा नहीं होता । लड़कियों की शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है, और लड़के जो हैं वह छोटी जमात तक, चौथी या पांचवीं जमात तक तो पढ़ लेते हैं, वहभी बहुत कम तादाद में, लेकिन आगे पढ़ने का उनके लिये कोई प्रबंध नहीं होता । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि चम्पारन के मगहिया डोमो के लिये जो प्रबंध किया गया था, यानी उनके लड़के लड़कियों को उन के घर से निकाल कर, उन से हटा कर दूर कर के उन की शिक्षा का प्रबंध किया गया, उनके कल्चर और उन की दूसरी चीजों को बदलने की कोशिश की गई, ठीक उसी प्रकार से इन का भी इन्तजाम होना चाहिये । जब तक उन के लड़के और लड़कियां उन से हटा नहीं ली जायेंगी, उन से अलग करके किसी ऐसे स्थान पर नहीं रखी जायेंगी, जहां रोजाना जो उन की खेतीबाड़ी और पशुपालन का ढंग है जिस में उनके गार्जियन्स बच्चों को इस्तेमाल करते हैं और उन से काम लेते हैं, अगर उन से अलग नहीं रखा गया तो जो मकसद है उन में शिक्षा प्रचारका, वह पूरा नहीं होगा । इसलिये मेरा सुझाव है,कि रेजिडेंशल स्कूल जो हैं उन में उन बच्चों को घर से हटा कर रखा जाय और जिस तरह से मिशनरीज वगैरह रखते हैं, केवल छुट्टी के दिनों में उन्हें घर जाने दिया जाये । फिर जैसे जैसे उन के बच्चे पढ़ते चले जायें, उन को उत्साहित किया जाये ताकि आगे की शिक्षा में, हायर एजुकेशन में उन को मदद मिले और उनकी उस में दिलचस्पी बढ़े । तभी उन का विकास हो सकता है और समाज में उनका आदर हो सकता है, और तभी वे पुराने तरीके से अलग किये जा सकते हैं । इसलिये मेरा सुझाव यह है कि कमिशन को बिहार गवर्नमेंट को सुझाव देना चाहिये कि उन की जो कंडिशन्स हैं उन को जो केन्द्रीय सरकार है उस को मालूम करायें और उस के बाद जितनी भी सुविधायें और जगह दी जा सकती हैं उतनी ही उन को दी जायें ।

श्री प० ला० बारूपाल (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है । लेकिन मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूं मैंने राजस्थान के बांसबाड़ा और डूंगापुर इलाके का दौरा किया है, उस समय मैंने जो स्थिति आदिवासियों की देखी उस में मैं कह सकता हूं, कि वे प्रकृति के पुत्र हैं, धरती इन का बिछौना है और आसमान ओढ़ना है । मैंने रात को उन को देखा, मैं वहां पर आब्जर्वर लगा था, कि सर्दी के महीने में लकड़ी जला कर के अपना काम चलाते हैं । वह लकड़ी रात को जलाते हैं और एक साइड को सो जाते हैं, जब वह साइड गर्म हो जाती है, तब साइड बदल कर दूसरे तरफ के अंग को गरम करते हैं । मैंने उन के पास टूटी फूटी हंडिया देखी जिस में वे मकई या दूसरा दाना उवाल कर खा लेते हैं और इस पर भी तृप्त रहते हैं । लेकिन जब भी आदिवासियों के लिये कमिशन बनता है और वह उनके लिये कुछ सिफारिश करता है तो वे सिफारिश कागजों के अन्दर ही रह जाती हैं, उन को जिस प्रकार से कार्य रूप में परिणत होना चाहिये वह नहीं होता । आदिवासियों को जितनी सहूलियत देने की बात कही जाती हैं वह केवल उन का प्रचार है, प्रोपेगेन्डा है । उनके सारे मैनेजमेंट पर जो पैसा खर्च होता है, मैं समझता हूं कि उस का २५ परसट भी प्रत्यक्षित में

[श्री प० ला० बारूपाल]

उन पर खर्च नहीं होता । मगर यह सारा व्यवस्था का प्रश्न है ।

दूसरी बात यह है कि कहा जाता है कि थाना एरिया जो है उसे आदिवावी घोषित किया जाये । मेरी समझ में नहीं आता है कि जब उन को हम आदिवासी मानते हैं, और वे आदिवासी हैं, तो सन् १९५५ में अमेंडमट क्यों किया गया । वह पहले शेड्यूल्ड कास्ट्स थे और शड्यूल्ड ट्राइब्ज थे, लेकिन पांच साल के लिये उन को स्कालर्शिपस मिलने चाहिये थे या सर्विसेज के अन्दर जगह मिलनी चाहिये थी वह उनको नहीं मिली और बाद में अमेंडमेंट कर के उनको शड्यूल्ड कास्ट्स और शड्यूल्ड ट्राइब्ज की सूचि में ले लिया। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे हम सन् १९५५ से चलते आये हैं वह तो चल ही रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी को सन् १९६० में अनुसूचित जाति में घोषित करते हैं तो जितना लाभ हमें पांच सालों में मिला है व तो पांच साल के लिये उन को बढ़ा देना चाहिये । सर्विसेज में जो उन की रिजर्वेशन की सहूलियत थी वह तो कंटिन्यूड ही र नी चाहिये । मैं यह भी महसूस करता हूं कि नाम उलट गया है । जो आदिवासी थे वे अनादिवासी क लाते हैं और जो अनादिवासी थे वे आदिवासी कहलाने लगे हैं । जो हिन्दुस्तान के प ले आदिवासी थे उनकी तरक्की अभी तक नहीं हुई है । आगे जा कर क्या होगा ।

हाउस में सदस्यों ने बार बार सरकार से मांग की है कि इन के लिए अलग एक मंत्रालय बनाया जाए । लेकिन जब हम अलग मंत्रालय की बात क ते हैं तो लोग हम को ताना कसते हैं कि तुम कम्युनल हो और जातिवाद लाना चाहते हो । यह जातिवाद की बात नहीं है । मैं अनुभव करता हूं कि भारत विभाजन के बाद रिफ्यूजीज को फिर से बसाने की अच्छी व्यवस्था की गयी है । मुझे उन को देख कर खुशी होती । इन लोगों को सरकार ने करोड़ों की संख्या में फिर से बसाया है । जब सरकार इतनी बड़ी समस्या का समाधान कर सकती है तो समझ में नहीं आता कि आज तक आदिवासी और हरिजनों की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो सका ।

मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता । लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि हमारी सरकार तो हमारे लिए बहुत कुछ करना चा ती है लेकिन उस के अफसर लोग उसकी नीति का पूरी तरह पालन नहीं करते क्योंकि उनमें आज भी तानाशाही और नौकरशाही है । हम चाहते थे कि लोकशाही आवे लेकिन अभी भी नौकरशाही पनप रही है । और हमारी योजनाएं कागज पर ही रह जाती हैं । मैं इतना ही क ना चा ता हूं कि आदिवासियों की समस्या राष्ट्र की समस्या है । हमारा देश बड़े बड़े नगरों में, बड़े बड़े दफ्तरों में और इस पार्लियामट में नहीं है । ४५ करोड़ लोगों के समूह का नाम हिन्दुस्तान है । और अगर इस देश के किसी भी अंग में कमजोरी है तो मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान कमजोर रहता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि इन भाइयों के लिए जो कुछ हो सकता है करना चाहिए ।

Shrimati Chandrasekhar: I am grateful to the House for the detailed discussion of the Report of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission and the valuable suggestions Members have offered. It was not due to indifference but due to shortage of time that we could not conclude the discussion commenced in September; again, due to other legislative business, we could take up the discussion only just now. Even so, we have not been indifferent; we have taken action as far as we could to implement some of the recommendations falling within the purview of the Central Government; as regards those coming within the sphere of State Governments, we have taken steps to see that they also implement them.

The valuable suggestions offered by Members would undoubtedly help us and we are grateful to them for the advice. This will help us to get the maximum results for our expenditure and efforts. The Home Minister in his opening speech has already told us that the conference of State Ministers in charge of the welfare of backward classes was convened in July 1962 primarily to discuss the recommendations of the Commission. This was a very important step as a large proportion of the recommendations pertain to the sphere of action of the State Governments. I am happy to say that the majority of the recommendations have been accepted by the Ministers at the conference. As the House knows, the conclusions reached at the conference have been laid on the Table of the House in August.

In the Dhebar Commission's report, certain important and valuable recommendations were made. As the time at my disposal is very little, I will not delve into each and every one of them, but mention only the major ones and elaborate wherever possible.

Regarding special legislation, some Members referred to it in their speeches. The Commission have emphasised the need to have suitable laws to protect the interests of tribals in land and to protect them against exploitation by money-lenders. They have also stressed that there should be a time-limit for such legislation. The Home Minister suggested at the conference that the States should try to complete the enactment of such legislation within two years, and that in this period efforts should also be made to form as many co-operative societies for tribals as possible. Realising the importance of this matter, the conference of the State Ministers agreed to complete the enactment of laws within the two years, and thus, there should be a considerable improvement within a short period. By implementing these recommendations effectively I think we will be able to achieve greater results.

Then I come to another point, which is also of very great importance, namely about the Governor's Report. This is another valuable recommendation made by the Commission. This relates to the preparation of the Governor's Report, and also effective exercise of powers by the Governor under the Fifth Schedule. The State Governments have agreed to tighten up the administrative arrangements relating to the preparation of the report, and are also examining how the benefit of the guidance of the Governors could be secured for the programme to a larger extent than as at present.

Then I come to the most important recommendation made by the Commission. I think this is the best one that we have come across. It sets out the alternative approach. We are very grateful to the Commission for giving a clear lead in this matter and placing an accent on intensive development rather than on declaring certain areas merely as scheduled areas. If adequate measures are taken for protecting the rights and interests of the tribals, and the programme of intensive development is adopted and put into effect within a reasonable period, the object of scheduling would be achieved. Side by side, the Commission have also pointed out that the scheduling of areas now will have no particular significance. The medium recommended by the Commission for this purpose, we all know, is the tribal development block.

The Home Minister, in consultation with the Planning Commission, announced earlier when he was initiating this debate, that efforts would be made to start tribal development blocks by the end of the Fourth Plan in all areas which have tribal majorities. He also announced that preparatory action for starting tribal development blocks in such areas might

[Shrimati Chandrasekhar]

have to be taken even before the end of the current Plan.

So, we have accepted the alternative approach, and the Planning Commission have also agreed to sanctioning of additional 120 blocks over and above the 330 already proposed during the Third Plan. We have almost allotted these 120 blocks to the various States where there is tribal population with 66 2/3 per cent majority. I am glad to say that during the Third Plan as many as 450 tribal development blocks would have been set up for this purpose. In all the areas with a tribal concentration of 66 2/3 per cent, tribal development blocks would thus come into being. For purposes of intensive development, the main recommendation has been accepted and is under implementation.

Besides, our thinking at present is that during the Fourth Plan we should try to conclude this work of starting tribal development blocks in all local areas where the concentration of the tribals in the total population exceeds not only 66 2|3 per cent., but also 50 per cent. The exact number which is to be started during the Fourth Plan would be known only after detailed study, but by a rough estimation we can say it may be about 500.

The tribal blocks that have been started and proposed to be started during the Third Plan, numbering about 450, should have trained personnel. This aspect has been mentioned by many Members. There was much concern about it, and they said we should have a good training programme.

The training programme has been rightly stressed by some Members for achieving success in the welfare schemes in the tribal areas. There is need for trained workers. On the lines of the Commission's recommendations, details of the training programme have been worked out in consultation with the Ministries of Community Development and Cooperation and Food and Agriculture who are actually in charge of implementing the schemes. The increased requirements of staff consequent on the enhanced number of Tribal Development Blocks are constantly being reviewed by the Community Development Ministry. In addition to the general training for the functionaries in the tribal development blocks in common with the personnel appointed in the community development blocks, special orientation training in tribal life and culture is being given to the staff posted in the Tribal development block. In addition to the existing training centre at Ranchi for giving orientation training to the block development officers and extension officers, another centre has been set up in Madhya Pradesh. Our idea is ultimately to have four such centres. By this, we are taking care to make sure that this large scale activity does not result in a compromise with quality. We are doing out best to see that all these blocks get the technical staff in time and utilise the funds in the most useful manner possible.

Then there was the question of officers learning the tribal language. We are examining in detail the existing position and propose to evolve some uniform pattern which will serve the purpose. Even as it is, State Governments have taken steps. For example in Bihar a Government servant posted in a tribal area has to pass a test within eighteen months of his posting under pain of having increments withheld. In addition to this punitive aspect, the Government of Bihar have taken positive measures by arranging for holding classes in the districts as also for the free supply of text books prescribed for the departmental examinations. There is also provision for payment of rewards. District officers make a half yearly

review of the working of the scheme. In Orissa, staff of the tribal welfare department have to pass an examination prior to confirmation. In addition, rewards are given to staff who pass examinations.

Coming to educational development, Members will agree that there has been improvement in the programme of educational advancement of the Scheduled Tribes. Side by side with the development of education, technical as well as general, increasing number of tribal youth is becoming made available not only for the general service of the country but also for work in tribal areas where there has been great shortage of qualified technical workers. For instance, we have in the tribal areas industrial training centres where civilians are trained in the various trades of technical and vocational nature and thereby offer employment opportunities in the nearby areas. We have three such large training centres in Takhatpur, Khorba and Imphal and two in Bihar. In addition, the training programme offered by the Ministry of Labour reserves a percentage of seats for training suitable boys.

There is then the point about exemption of local contribution for water supply scheme. As a result of the Commissioner's recommendations relating to the need for exemption of local contribution in rural water supply schemes, the Planning Commission have taken an important decision to exempt water supply schemes of an engineering character from such contributions. The entire expenditure in areas of tribal concentration on such water supply schemes will be borne by the Government of India. We have addressed the State Governments to fully avail of this programme with a view to enhance the water supply facilities in tribal areas. Where there are people who have been displaced,—the tribals who have been displaced—because of industrialisation in certain areas, there the question of rehabilitation comes in. This is another important recommendation that the Dhebar Commission made which relates to the satisfactory rehabilitation of the tribal population displaced by projects in public or private sectors. The State Ministers' Conference emphasized that rehabilitation should be complete, that is, not only should tribals be given compensation but they should be settled on land and be enabled to get employment. We agreed that every effort should be made towards securing for the tribals the benefit of increasing employment opportunities in the wake of the large scale growth of industries. Efforts are being made to render necessary training facilities for the tribals. In view of the importance of the subject, a special study has been made in this Ministry and it is proposed to discuss this with the concerned Ministries shortly in order to evolve a uniform and satisfactory policy of rehabilitation of tribals affected by such large projects.

In the Ranchi Heavy Engineering Corporation, which I visited recently, I saw the people who have been displaced have been very well settled, and they have been given good compensation and most of them have been taken in the project itself to be given employment and some are being trained in the ITI in Bihar.

Employment in Government services was also mentioned by many hon. Members. The recommendation of the Commission relating to the strengthening of the administrative set-up at the Centre has received very careful consideration by this Ministry. It is proposed to strengthen the organisation in the Ministry not only for performing the functions of co-ordination better, but also to assess the value and evaluate the progress of the schemes under implementation. Every effort is being made to increase the number of tribal candidates in the services. As a result of the special efforts, the full reserve quota was filled up in the last two years in the all-India services. This is more than what we

[Shrimati Chandrasekhar]

have achieved in all the eight years put together. We are also contemplating to offer assistance by way of training and stipend, etc., to candidates competing for other Central services.

The recommendation relating to the fixing of a separate percentage for reservation in service for Scheduled Tribes and Scheduled Castes was accepted by the State Ministers. The recommendations regarding the representation of Scheduled Tribes in local bodies have also been accepted by the State Minsiters' Conference. On the recommendation in regard to representation in public sector undertakings, the Home Minister has sent letters to the administrative Ministries concerned. As for the general question, the representation of Scheduled Tribes in the services is steadily growing, and when the effect of the past educational programme undertaken by us during the last 10 to 12 years is felt, as it is already beginning to be felt, in addition to the programme contemplated for the future, there is every reason to hope that there will be considerable improvement.

Then there was a mention about Dadra and Nagar Haveli, and there was a request that as they have suffered on account of foreign domination, they should receive special attention. The territory is being administered by the Ministry of External Affairs. Though it was not under the Government of India, when the Commission was appointed, we have now given two tribal blocks to that union territory, and we are also trying to see as far as possible that we give the areas as much benefit as we could.

Shri Hari Vishnu Kamath: Why does not the Home Ministry take it up? It is inside India; not outside India.

Shrimati Chandrasekhar: I said that it was not within the purview of the Government of India when the Commission was constituted. Even so, when it joined us, we have taken note of the Scheduled Tribes population in that area and we have allotted two tribal development blocks to that area. That is what I said.

Shri Hari Vishnu Kamath: The hon. Deputy Minister has not followed the point. The Home Minister is also present here. I wanted to know why it is being administered by the Ministry of External Affairs and not by the Home Ministry. That is the question. The Home Minister is there.

Shrimati Chandrasekhar: That does not make any difference.

Shri Hari Vishnu Kamath: That is a major issue. It is for him to answer; not for you.

Shrimati Chandrasekhar: That will be answered whenever the occasion arises.

Shri Nambiar: He is trying to pull him out!

Shri Hari Vishnu Kamath: Draw him out; not pull him out!

Shrimati Chandrasekhar: Then I come to the effective co-ordination between the tribal welfare department and the general development department. This was emphasised during the recent conference of State Ministers. Some States like Madhya Pradesh and Kerala have taken action already to set up committees at Ministers' level and at Secretaries' level to bring about the necessary coordination. The desirability of having a special officer to watch the interests of the Backward Classes including the Scheduled Tribes was also stressed. Most of the State Governments have set up the evaluation cells.

About provision of midday meals to the tribal children in the tribal areas, the corresponding recommendation of the Commission in Chapter 18 was generally accepted in the Conference of State Ministers. The Planning Commission has recently offered

grants up to one-third of the expenditure over and above the Plan ceiling for introducing the mid-day meals programme to all children including the tribal children. We have also reminded the State Governments to take up this aid.

Coming to land agriculture and forests, land agriculture and forests are things which are very near and dear to the life of the tribals. Village and cottage industries also play an important role. Apart from carefully conserving the fine specimens of self-expression at these works of the tribal area, if properly developed, these industries could also prove to be a valuable source of supplementary income. The recommendations in these chapters have been accepted by the State Governments in so far as the implementation in their field is concerned. Where the question is one of national policies, we are taking necessary action in consultation with the other Union Ministries concerned, and we have every reason to hope that we will be able to implement almost all the recommendations. Our approach has all along been to encourage the growth of forest labourers co-operative societies with a view to ultimately making them replace the system of exploitation by private contractors. With this end in view we have made adequate provisions in the successive Five Year Plans for the scheme. In the Third Five Year Plan a sum of Rs. 2.73 crores has been included for the centrally sponsored schemes of co-operation including forest labour co-operatives. The corresponding provision in the Second Plan was Rs. 1.98 crores out of which more than 90 per cent has been spent. During the Second Plan period 868 co-operative societies were started for the benefit of the Scheduled Tribes. During the Third Five Year Plan a large number of forest labour co-operative societies have been started in the States of Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Orissa, Bihar, Assam and Andhra Pradesh. The State Government of Maharashtra expects that by the end of the Fourth Plan, all areas in the State will be brought within the co-operative fold. Detailed recommendations have also been made on tribals and forests earlier and these recommendations have been accepted at the Conference. Specially it was decided that rules regarding the grant of timber for *bona fide* house building purposes would be liberalised. This would perhaps improve the situation materially. To extend maximum benefits to the tribal population from forests, we have given high priority to the scheme of forest labourers' co-operatives. The special working group which recently submitted its report made detailed recommendations regarding the pattern of organisation, and they have recommended nearly about Rs. 869 lakhs for the tribals. There is a provision now of about Rs. 725 lakhs for this purpose, and we have already sent a letter to all the State Governments requesting them to make use of this amount and carry out all the schemes meant for the tribals in this field.

Shri D. J. Naik: That report about these co-operative societies has not been placed on the Table of the House. I suggest that it may be placed on the Table of the House.

Shrimati Chandrasekhar: I will examine the point which the hon. Member has expressed now.

I think, Sir, I have almost covered all the points raised and which needed a reply. If some have not been covered, it does not mean that we are not going to take note of them. We are very sincere and we are very keen to implement all the recommendations wherever it is possible. If they lie within our sphere we are taking every effort and if they lie within the sphere of the State Governments, we won't leave it to the State Governments, we will see that they implement them.

Shri D. J. Naik: About the reconciliation of debats incurred by the tribals, may I know what is the policy of the Government?

Shrimati Chandrasekhar: That will fall within the special legislation of the State Governments. That will be looked into.

Shri Subodh Hansda (Jhargram): After the State Chief Ministers' Conference it has been stated that all the recommendations made by the Commission have been accepted by the States. If that is so, as one year has already passed, may I know which of the recommendations have been implemented till now? That was not mentioned by the hon. Deputy Minister.

Shrimati Chandrasekhar: The main recommendation is the "alternative approach". That covers the entire field and, as I said, that is the first one that we have accepted. That covers most of the points.

Shri Swell: May I draw the attention of the hon. Deputy Minister to one important aspect, and that is with relation to scholarships to the tribal students? Some State Governments, and I know of certain concrete instances on the part of the Government of Assam, have penalised the students for getting scholarships on merits by competition. Where tribal students have won scholarships on merits by competition, they have not been encouraged but they have been penalised for getting such merit scholarships by depriving them of free studentship and other facilities which are normally extended to tribal students. What is the policy of the Government with regard to this? When a tribal student qualifies on merit and gets a merit scholarship, does he forego his ordinary scholarship which is given to tribal students?

Shrimati Chandrasekhar: I have not been able to understand the hon. Member's point.

Shri Swell: It is simple.

Shrimati Chandrasekhar: He talks about scholarship on merit. Scheduled Tribe candidates are given scholarships merely because they belong to Scheduled Tribes and are poor. It is given on poverty basis and not on merit basis. If a tribal student gets a scholarship on merit, I think we should be very happy about it.

Shri Swell: That is what it should be. But the Assam Government is not doing that (*Interruption*). Sir, let me clarify the point.

Shrimati Chandrasekhar: Let not the hon. Member dilate on that point. If he had brought it to my notice....

Shri Swell: I am bringing it to your notice.

Mr. Deputy-Speaker: Let him bring specific cases to the hon. Minister's notice.

Shrimati Chandrasekhar: Then I will look into it.

Dr. L. M. Singhvi: Sir, a point has been made by many of us that a good deal of financial assistance granted for such welfare activities remains unutilised. Shri Vyas said that 39 per cent only has been utilised and the balance has remained unutilised. Whether that figure is correct or not, I do know that a good deal of financial assistance which is sanctioned remains unutilised, and some of it happens to be misappropriated. I referred to some of the allegations made in the Press. The hon. Deputy Minister has not touched this point at all, particularly the first part which, I think, is an index of the failure to achieve the targets which have been set by ourselves.

Shrimati Chandrasekhar: I am not prepared to agree with the figure of 39 per cent, because most of the schemes meant for Scheduled Castes..

Dr. L. M. Singhvi: It is not a question of opinion, it is a question of facts and figures.

Shrimati Chandrasekhar: No State has spent only 39 per cent of the provisions made for the Scheduled Tribes. I will look into it.

Shri Nath Pai (Rajapur): Is the hon. Home Minister aware that in getting back the loans given out to Scheduled Caste students,—very often cases have been brought to our notice,—an absolutely Shylock mentality is displayed, ruthlessly the loans are recovered and no clemency is shown even with regard to the repayment of interest whatever be the present income of the students? If that is so, this certainly is not the way of fostering education among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Would he take a more charitable view with regard to the recovery of loans. I will send him some very specific and tragic cases of students who studied with me in England and who are now being simply harassed and whose life is now being made very difficult.

The Minister of Home Affairs (Shri Lal Bahadur Shastri): I am sorry that this has not been brought to our notice before. But, what the hon. Member has said does deserve our full consideration. If there are boys who find it extremely difficult to refund or return the loan, certainly they should not be harassed. This is a matter which we will have to take up with the State Governments.

I might also mention in this connection that it is true that the State Governments have not been able to utilise all the money that they budget for. But, luckily, the State from which the hon. Member, Dr. Singhvi, comes, is much better off in that respect than other States. Still, it is essential that every State should try to utilize the entire money budgeted for this purpose.

Dr. L. M. Singhvi: I think we have excelled in the matter of misappropriation, of which there are many instances.

Shri Lal Bahadur Shastri: It is regrettable that the hon. Member should put that interpretation. There may be some lapses. But, strangely enough, if the whole sum has been spent, the hon. Member will say that it has been misused or there is embezzlement or fraud. It is not fair to us.

Dr. L. M. Singhvi: A large number of such allegations have been made and they have not been cleared.

Shri Lal Bahadur Shastri: I am sorry, the hon. Member makes generalisations like that.

Dr. L. M. Singhvi: I am not generalising. I am giving instances. Unfortunately, a large number of them still remain uncleared.

Shri Nath Pai: Unfortunately, we will not get many opportunities to accuse you in future.

Shri Lal Bahadur Shastri: In that case, I shall sit down so that Dr. Singhvi can accuse me as much as he likes.

Dr. L. M. Singhvi: I am sorry, I have been misunderstood. That was not the object of referring to this.

Shri Lal Bahadur Shastri: Anyhow, I do not want to prolong this argument or discussion. I agree with Shri Singhvi that the State Governments should push ahead with their programmes of work so that all the money budgeted for is fully utilized. It is essential that whatever money is provided for is fully and properly utilized. On the one hand, we complain of lack of funds. On the other, when we get funds we do not utilize it. Therefore, I fully agree with the hon. Member that when funds are available we should do our utmost to improve the lot of our brethren.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That this House takes note of the Report of the Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission, laid on the Table of the House on the 20th November, 1961."

The motion was adopted.

Mr. Deputy-Speaker: We had decided in the morning that this discussion will go on until 5 O'Clock. Now that this business is over earlier, shall we take up the next item or adjourn the House?

Some Hon. Members: Let us adjourn the House.

Mr. Deputy-Speaker: All right.

16.44 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wdenesday, the August 28, 1963/*Bhadra* 6, 1885 (*Saka*).